

55th

वार्षिक प्रतिवेदन
Annual Report
2024-2025



भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

Bharat Pumps & Compressors Ltd.

(A Government of India Enterprise)

विषय सूची

03	बोर्ड के निदेशकगण
04	निदेशकों का प्रतिवेदन
14	नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ
15	स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन
25	संतुलन पत्र
26	लाभ हानि का विवरण
28	वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ
48	दस वर्षीय सिंहावलोकन

निदेशक मण्डल

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. श्री के. सदाशिव मूर्ति | - अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (19.05.2021 से) |
| 2. श्री ए.के. दीवान | - निदेशक (18.05.2023 से) |
| 3. श्री नवीन कौल | - निदेशक (05.06.2024 से) |
| 4. श्री के.एन. रमेश | - निदेशक (02.09.2024 से) |
| 5. श्री उपेन्द्र कुमार वर्मा | - निदेशक (30.10.2024 से) |
| 6. श्री एस.के. सक्सेना | - निदेशक (14.08.2024 तक) |
| 7. श्री आई. साई राम | - निदेशक (01.09.2024 तक) |
-

श्री इन्द्रसेन सिंह	- मुख्य वित्त अधिकारी एवं कम्पनी सचिव
---------------------	---------------------------------------

लेखा परीक्षक

नागेंद्र गुप्ता एण्ड कम्पनी,
सनदी लेखाकार,
203, एन.पी.ए. आरकेड, द्वितीय तल
23, एम.जी. मार्ग, सिविल लाइन्स
प्रयागराज- 211001

बैंकर्स

भारतीय स्टेट बैंक, नैनी, प्रयागराज

पंजीकृत कार्यालय

नैनी, प्रयागराज - 211 010 (उत्तर प्रदेश)

बोर्ड के निदेशकगण



श्री के. सदाशिव मूर्ति
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
(19.05.2021 से)



श्री ए. के. दीवान
निदेशक
(18.05.2023 से)



श्री नवीन कौल
निदेशक
(05.06.2024 से)



श्री के.एन. रमेश
निदेशक
(02.09.2024 से)



श्री उपेन्द्र कुमार वर्मा
निदेशक
(30.10.2024 से)



श्री एस. के. सक्सेना
निदेशक
(14.08.2024 तक)



श्री आई. साई राम
निदेशक
(01.09.2024 तक)



श्री इन्द्रसेन सिंह
कम्पनी सचिव

निदेशकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

अंशधारीगण

सज्जनो,

आपके निदेशकगण कंपनी के व्यापार एवं संचालन का 55वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए, लेखापरीक्षित खातों, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट एवं भारत के महालेखाकार एवं नियंत्रक (CAG) की टिप्पणियों सहित प्रस्तुत करते हैं।

1. प्रदर्शन की मुख्य बातें:

वर्ष 2020-21 के दौरान, भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय ने कंपनी को बंद करने के संबंध में दिनांक 17.12.2020 के पत्र के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय को सूचित किया, जिसमें परिचालन की समाप्ति और कुछ देनदारियों को फ्रीज करना शामिल है। तदनुसार, सभी परिचालन रोक दिए गए, और कंपनी वर्तमान में कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार औपचारिक रूप से बंद होने की प्रक्रिया में है।

चालू वर्ष तक बंद होने से संबंधित अधिकांश गतिविधियाँ पूरी हो चुकी हैं, जिनमें शामिल हैं:

ए - 2022 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) के माध्यम से सभी कर्मचारियों को कार्यमुक्त करना,

बी - सभी बाहरी देनदारियों का निपटान,

सी - सभी चल संपत्तियों की बिक्री,

डी - इलाहाबाद और मुंबई में स्थित आवासीय फ्लैटों को राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम (एनएलएमसी) को बुक वैल्यू पर हस्तांतरित करना, और

इ - उत्तर प्रदेश सरकार को स्थायी संरचनाओं के साथ भूमि का हस्तांतरण।

अभी तक, सभी चल और अचल संपत्तियों का मूल्य शून्य है।

इस प्रकार, वर्ष के दौरान निष्पादन और अन्य वित्तीय मापदण्ड, चल रहे संगठन के अनुरूप वास्तविक स्थिति नहीं दर्शा रहे हैं। वर्ष के दौरान कोई परिचालन कारोबार और राजस्व नहीं था, लेकिन

कंपनी ने एफडी पर ब्याज अर्जित करने के रूप में कुछ आय अर्जित की है और आयकर के पुराने बकाये की काफी राशि का भुगतान किया है और तदनुसार, वर्ष के लिए घाटा (कर के बाद) 2.57 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले वर्ष के दौरान घाटा (कर के बाद) 46.64 करोड़ रुपये था।

वर्ष 2024-25 के अंत में कंपनी की निवल संपत्ति ₹(-) 153.20 करोड़ रही, जबकि पिछले वर्ष यह ₹(-)150.63 करोड़ थी।

वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदर्शन की प्रमुख विशेषताओं का सारांश निम्न प्रकार है:

(₹ करोड़ में)			
क्र. सं.	विवरण	2024-25	2023-24
1.	निवल कारोबार	0.00	0.00
2.	अन्य आय	1.16	3.74
3.	कुल आय (1+2)	1.16	3.74
4.	कर पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि) पीबीटी	0.26	(13.27)
5.	कर पश्चात शुद्ध लाभ/(हानि) पीएटी	(2.57)	(46.64)
6.	नेट वर्थ	(153.20)	(150.63)

2. लाभांश:

चूंकि कंपनी भारत सरकार की मंत्रिमंडल की दिनांक 09.12.2020 की निर्णयानुसार परिसमापन/समापन की प्रक्रिया में है तथा निरंतर हानि में चल रही है, अतः निदेशकों द्वारा लाभांश की सिफारिश न तो संभव है और न ही की गई है।

3. शेयर पूंजी:

कंपनी की जारी, अभिदत्त तथा चुकता शेयर पूंजी दिनांक 31 मार्च 2025 को ₹53.53 करोड़ थी, जबकि स्वीकृत पूंजी ₹65.00 करोड़ थी।

4. आदेश पुस्तिका की स्थिति :

वर्ष के अंत में आदेश पुस्तिका की स्थिति ₹0.00 करोड़ थी क्योंकि कंपनी ने वर्ष 2021-22 से नए ऑर्डर लेना बंद कर दिया था और पूर्व में प्राप्त ऑर्डरों को भी रद्द कर दिया गया था। यह

निर्णय भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा 17.12.2020 को जारी पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार की कैबिनेट के कंपनी के समापन के निर्णय के अनुपालन में लिया गया।

5. भविष्य की रूपरेखा :

भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए समापन के निर्णय के अनुपालन में (दिनांक 17.12.2020, भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रेषित), कंपनी ने ऑर्डर लेना पूर्णतः बंद कर दिया है। वर्तमान में अधिकांश समापन संबंधित गतिविधियाँ पूर्ण की जा चुकी हैं और कंपनी शीघ्र ही औपचारिक रूप से समाप्त कर दी जाएगी।

6. ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी आत्मसात, और विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 और संबंधित नियमों (जहाँ तक लागू हो) के अनुसार आवश्यक जानकारी निम्नानुसार दी जा रही है:

6.1 ऊर्जा का संरक्षण:

ऊर्जा संरक्षण की दिशा में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है क्योंकि कंपनी फरवरी 2023 में विद्युत कनेक्शन विच्छेद के बाद भौतिक रूप से बंद हो चुकी है और भूमि व स्थायी संरचनाएं उत्तर प्रदेश सरकार को हस्तांतरित की जा चुकी हैं।

6.2 प्रौद्योगिकी अवशेषण:

कंपनी ने निम्नलिखित विश्व प्रसिद्ध निर्माताओं से तकनीकी सहयोग के माध्यम से तकनीक आत्मसात की थी:

क्र.सं.	उत्पाद	सहयोगी
1.	सेन्ट्रीफ्यूगल पम्प्स	पोम्प्स गुड़नार्ड फ्रांस
2.	रेसीप्रोकेटिंग पम्प्स	ऑयल वेल, यू0एस0ए0
3.	रेसीप्रोकेटिंग कम्प्रेसर्स	न्यूवो पिगनोन, इटली
4.	अमोनिया एण्ड कार्बोमेट पम्प्स	यूराका, जर्मनी
5.	सीमेन्टिंग यूनिट्स	बी0जे0 ह्यूजेस, यू0एस0ए0
6.	सकर रॉड पम्प	रोम कन्सल्टेन्ट रोमानिया
7.	उच्च दबाव औद्योगिक गैस सिलेण्डर	शोवा कोआत्सू, जापान

इसके अतिरिक्त, कंपनी के संचालन बंद हो जाने के कारण तकनीकी मूल्यांकन बाह्य एजेंसी से करवाया गया और तकनीक

को ₹28.00 करोड़ में मेसर्स केएसबी लिमिटेड को एमएसटीसी के माध्यम से वर्ष 2022-23 में बेचा गया।

6.3 तकनीकी उन्नयन / अधिग्रहण एवं उत्पाद डिज़ाइन और विकास:

कंपनी अपने उत्पादों के डिज़ाइन सुधार और बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु निरंतर तकनीकी उन्नयन के लिए प्रतिबद्ध थी। किन्तु, दिसंबर 2020 में कंपनी के बंद होने के निर्णय के बाद वर्ष 2021-22 से ऐसी कोई गतिविधि आवश्यक नहीं रही और न ही की गई।

6.4 विदेशी मुद्रा आय और व्यय:

विदेशी मुद्रा में प्राप्ति और व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विवरण	2024-25	2023-24
अ.	सी0आई0एफ0 आधार पर गणना किये गये आयात का मूल्य		
	1. कच्चा माल	0.00	0.00
	2. भण्डार एवं कलपुर्जे	0.00	0.00
	3. पूँजीगत सामान	0.00	0.00
ब.	विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय		
	1. अनुरूप अध्ययन	0.00	0.00
	2. यात्रा	0.00	0.00
	3. संविदा	0.00	0.00
	विदेशी मुद्रा प्राप्ति		
	1. परामर्श	0.00	0.00
	2. ब्याज	0.00	0.00
	खर्च किये गये कच्चा माल अवयव, कलपुर्जे एवं भण्डार का मूल्य		
	1. आयातित	0.00	0.00
	2. स्वदेशी	0.00	0.00

7. पूँजीगत व्यय:

भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दिनांक 17.12.2020 को लिए गए कंपनी के संचालन बंद करने और कंपनी को बंद करने के निर्णय के अनुपालन में, अब इस प्रकार की गतिविधियाँ अनावश्यक हो गई हैं।

8. गुणवत्ता सुधार:

कंपनी को गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (घए 9001:2015), पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली (घए 14001:2015) और व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा मूल्यांकन (धए ११००१:२०१५)

18001:2007) के लिए प्रमाणित किया गया था। हालांकि, कंपनी के बंद होने के निर्णय के अनुपालन में, सभी कर्मचारियों को 12.06.2021 तक सेवानिवृत्त कर दिया गया था, जिसके बाद से कोई नई गुणवत्ता-संबंधी पहल नहीं की गई।

9. राजस्व में योगदान:

वर्ष 2024-25 के दौरान आपकी कंपनी ने जीएसटी के लिए जहाँ भी लागू हो सरकारी खजाने में भुगतान किया है, और आयकर के पुराने बकाए के रूप में 251.82 लाख रुपये का भुगतान किया है, इसके अलावा 2023-24 के लिए 31.23 लाख रुपये के रिफंड का समायोजन किया गया है। पिछले वर्ष आयकर के पुराने बकाए के रूप में 3337 लाख रुपये का भुगतान किया गया था।

10. मानव संसाधन विकास:

10.1 कंपनी लोगों की रणनीतियों के विकास और कार्यान्वयन से संबंधित थी जो कॉर्पोरेट रणनीतियों के साथ एकीकृत हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि संस्कृति, मूल्य, कौशल, प्रेरणा और मानव संसाधन का विकास हो।

हालांकि कंपनी को बंद करने से संबंधित भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन के मद्देनजर सभी कर्मचारियों को 12.06.2021 तक वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से कार्यमुक्त कर दिया गया। इस प्रकार, मानव संसाधन के क्षेत्र में आगे का विकास स्वचालित रूप से रोक दिया गया है।

10.2 औद्योगिक संबंध:

12.06.2021 तक सभी कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने तक, औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण रहे।

जनशक्ति: 31.03.2025 तक कुल कर्मचारियों की संख्या शून्य थी (सभी कर्मचारियों को जून 2021 तक वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से कार्यमुक्त कर दिया गया था)। इसके अलावा, विभिन्न बंद गतिविधियों को पूरा करने के लिए 3 सेवानिवृत्त पूर्व कर्मचारी (वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से) और दिल्ली में एक विशेषज्ञ पेशेवर 31.03.2025 को परामर्शदाता/संविदा कर्मचारी के रूप में अभी भी कार्यरत हैं।

11. प्रशिक्षण: सभी कर्मचारियों को 12.06.2021 तक कार्यमुक्त कर दिया गया है। इस प्रकार, 2021-22 से इस क्षेत्र में आगे का विकास स्वतः ही बंद हो गया है।

12. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ ओबीसी/ विकलांग व्यक्ति:

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ओबीसी और विकलांग व्यक्तियों से संबंधित सरकारी निर्देशों का अनुपालन कंपनी के बंद होने/सभी कर्मचारियों के अलग होने तक किया जा रहा था।

13. राजभाषा:

वर्ष 2020-21 तक (दिनांक 12.06.2021 - कंपनी बंद होने के कारण सभी कर्मचारियों के कार्यमुक्त/पृथक होने की तिथि) राजभाषा कार्यान्वयन अधिनियम के प्रावधानों तथा भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त विभिन्न निर्देशों का प्रभावी एवं सशक्त क्रियान्वयन करते हुए हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के प्रयास जारी रहे। तथापि, वर्ष 2021-22 से इस क्षेत्र में आगे का विकास स्वतः ही रुक गया है।

14. सूचना का अधिकार (आरटीआई):

बीपीसीएल ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों को लागू किया है और एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया गया है। वर्ष के दौरान, सभी प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई की गई और उपयुक्त उत्तर दिए गए।

15. कर्मचारियों का विवरण:

कंपनी में ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जिनका विवरण कंपनी अधिनियम की धारा 197(12) एवं नियम 5(2), 5(3) के अंतर्गत देना आवश्यक हो।

16. सावधि जमा:

कंपनी ने जनता से कोई सावधि जमा नहीं ली है।

17. प्रदूषण और पर्यावरण:

वर्ष 2021-22 में संयंत्र बंद होने तक जहाँ भी आवश्यक हो, नियंत्रण उपकरण स्थापित करने के बाद वायु जल/ध्वनि प्रदूषण के निर्वहन के लिए वैधानिक आवश्यकता को वैधानिक स्वीकार्य सीमा के भीतर बनाए रखा गया था। प्रकृति को संरक्षित करने और पर्यावरण के संरक्षण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता के लिए, कंपनी में समय-समय पर कई वृक्षारोपण अभियान भी आयोजित किए गए थे। हालांकि, कंपनी के संचालन/बंद होने के कारण ऐसी गतिविधियाँ अब आवश्यक नहीं हैं।

18. सतर्कता:

कंपनी का सतर्कता विभाग सीवीसी दिशा-निर्देशों के बारे में बेहतर जागरूकता पैदा करके, पारदर्शी और सरलीकृत प्रक्रियाओं को शुरू करके कंपनी में सतर्कता प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। भ्रष्ट आचरण को नियंत्रित करने और रोकने के लिए नियमित और औचक निरीक्षणों को प्रभावी बनाया गया है। निवारक सतर्कता उपायों के हिस्से के रूप में विभिन्न गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखी गई। वर्ष 2024-25 के दौरान, कोई नियमित सतर्कता गतिविधियाँ आयोजित नहीं की गईं क्योंकि कंपनी पहले ही बंद हो चुकी है। हालाँकि, अतिरिक्त प्रभार वाले अंशकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी अभी भी कार्यरत हैं।

19. सुरक्षा:

चूंकि 28.02.2023 को उत्तर प्रदेश सरकार को भूमि और संयंत्र की स्थायी संरचना हस्तांतरित होने के बाद कंपनी भौतिक रूप से बंद हो गई है, इसलिए सुरक्षा और संरक्षा की जिम्मेदारी अब उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। वर्ष के दौरान चोरी/नुकसान/क्षति का कोई मामला सामने नहीं आया।

20. कंपनी की बंद गतिविधि की स्थिति-वर्तमान परिदृश्य:

केंद्रीय मंत्रिमंडल समिति ने 09.12.2020 को आयोजित अपनी बैठक में संयंत्र के संचालन को बंद करने और कंपनी की कंपनी को बंद करने को मंजूरी दी। गृह मंत्रालय ने दिनांक 17.12.2020 के पत्र के माध्यम से भारत सरकार के उक्त निर्णय की जानकारी दी है। इस संबंध में, निम्नलिखित बंद करने की गतिविधियाँ पूरी कर ली गई हैं-

ए- कंपनी का परिचालन बंद कर दिया गया है।

बी- कंपनी के सभी कर्मचारियों को 12 जून-2021 तक वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से कार्यमुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा बंद करने की गतिविधियों को पूरा करने के लिए कुछ अधिकारियों को सलाहकार/संविदा कर्मचारियों के रूप में फिर से तैनात किया गया है।

सी- कंपनी को मार्च-2021 के अंतिम सप्ताह में 92.55 करोड़ रुपये और जून-2021 के अंतिम सप्ताह में 168.22 करोड़ रुपये कुल मिलाकर 316.09 करोड़ रुपये की स्वीकृत राशि में से 260.77 करोड़ रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ और फरवरी 2023 तक इसका पूरा उपयोग किया गया।

डी- कर्मचारियों के अधिकांश बकाये का भुगतान पूरा हो चुका है, केवल एक कर्मचारी का भुगतान न्यायालयीन मामले के कारण लंबित है।

इ- विक्रेताओं और अन्य हितधारकों के बकाये का भुगतान पहले ही किया जा चुका है और विवादित/अदावा किए गए बकाये का समायोजन कार्य भी किया जा चुका है।

एफ- वर्ष 2022-23 के दौरान नैनी, इलाहाबाद स्थित सभी चल संपत्तियों और प्रौद्योगिकी की एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से ई-नीलामी पूरी कर ली गई है।

जी- वर्ष 2022-23 के दौरान, सभी चल संपत्तियों की बिक्री और उठाने के बाद, कंपनी ने भूमि और स्थायी संरचना उत्तर प्रदेश सरकार को 28.02.2023 सौंप दी है।

एच-इलाहाबाद और मुंबई में स्थित आवासीय फ्लैटों को भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में बुक वैल्यू पर एनएलएमसी (राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम) को हस्तांतरित कर दिया गया।

आयकर विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने सहित अधिकांश क्लोजर गतिविधियाँ पूरी हो चुकी हैं। केवल शेष मामला लंबित कानूनी मामलों से संबंधित है।

कंपनी वर्तमान में आरओसी (कंपनी रजिस्ट्रार) के साथ बनाए गए कंपनियों के रजिस्टर से अपना नाम हटाने के लिए शेष क्लोजर औपचारिकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया में है। आवश्यक ई-फॉर्म जल्द से जल्द आरओसी के साथ दाखिल किए जाएंगे।

21. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व:

भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुपालन में, जैसा कि भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा दिनांक 17.12.2020 के पत्र के माध्यम से परिचालन बंद करने और कंपनी को बंद करने के संबंध में सूचित किया गया था, वित्तीय वर्ष 2021-22 से ऐसी गतिविधियों की न तो आवश्यकता थी और न ही उन्हें शुरू किया गया।

22.1 लेखा परीक्षक:

मेसर्स नागेंद्र गुप्ता एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, इलाहाबाद को भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के खातों की लेखा परीक्षा के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है, जो आगामी वार्षिक आम बैठक के समापन तक पद पर बने रहेंगे।

22.2 लेखा परीक्षक की रिपोर्ट:

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी के खातों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा दी गई रिपोर्ट में कुछ टिप्पणियां की गई हैं। उन टिप्पणियों पर निदेशकों की प्रतिक्रियाएं नीचे दी गई हैं:

लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां (रिपोर्ट का पैरा नं.) प्रबंधन की प्रतिक्रियाएं

अंकेक्षक की टिप्पणी रिपोर्ट की संबंधित सं.	प्रबन्धन का जवाब
(ए)	कंपनी ने पहले ही नोट संख्या 29 (iv) के माध्यम से 2020-21 से सरकारी ऋण पर ब्याज का प्रावधान न करने से संबंधित तथ्यों का खुलासा किया है। यह केंद्रीय मंत्रिमंडल के दिनांक 17.12.2020 के निर्णय के अनुपालन के मद्देनजर किया जा रहा है, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि 31-03-2020 तक सरकारी ऋण पर ब्याज को रोक दिया जाएगा।
(बी)	लंबित मामलों का मात्रात्मक आंकलन यथासंभव किया जा चुका है।

23. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6)(a) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारत पम्पस एंड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा परीक्षण नहीं करने का निर्णय लिया है। अतः, उन्होंने धारा 143(6)(b) के अंतर्गत वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी या अनुपूरक नहीं किया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी/पत्र संलग्न किया गया है।

24. जोखिम प्रबंधन:

कंपनी सदैव योजना बनाते समय जोखिम प्रबंधन के सिद्धांतों का पालन करती रही है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की व्यवस्था पर्याप्त रही है और समय-समय पर इसकी समीक्षा भी की जाती रही है। वर्तमान में कंपनी के बंद होने की स्थिति में जोखिम प्रबंधन का क्षेत्र सीमित हो गया है, जो पहले निर्धारित प्रक्रिया और दिशानिर्देशों के अनुसार किया जा रहा है।

25. वार्षिक विवरणी का उद्घरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(3) के प्रावधानों के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक रिटर्न संलग्न किया गया है।

26. निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी):

निदेशकों का विवरण इस प्रकार है:

श्री के सदाशिव मूर्ति, सीएमडी, बीएचईएल ने 19.05.2021 से श्री सुनील परवानी ईडी, बीएचईएल के स्थान पर सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है।

श्री अरुण कुमार दीवान, निदेशक एमएचआई (भारी उद्योग मंत्रालय), भारत सरकार को 18.05.2023 से बीपीसीएल के बोर्ड में सरकारी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री नवीन कौल, सीएमडी स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को 05.06.2024 से बीएचईएल नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री के.एन. रमेश, ओएनजीसी के कार्यकारी निदेशक को 02.09.2024 से ओएनजीसी नामित निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

श्री उपेन्द्र कुमार वर्मा, (कार्यकारी निदेशक ईआईएल) को 30.10.2024 से ईआईएल नामित निदेशक नियुक्त किया गया है।

श्री सुनील कुमार सक्सेना, कार्यकारी निदेशक ईआईएल को उनकी नियुक्ति अवधि पूरी होने के बाद 14.08.2024 को नामित निदेशक के रूप में समाप्त कर दिया गया है।

श्री साई राम इरुकुवज्जुला कार्यकारी निदेशक (सीटीएस), ओएनजीसी को उनकी नियुक्ति/सेवानिवृत्ति अवधि पूरी होने के बाद 01.09.2024 से नामित निदेशक के रूप में समाप्त कर दिया गया है।

बीपीसीएल के बोर्ड में 26.03.2016 से कोई गैर-आधिकारिक अंशकालिक निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है।

27. कॉर्पोरेट प्रशासन पर रिपोर्ट:

27.1 बीपीसीएल पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और नैतिकता के सिद्धांतों पर आधारित व्यवहारिक संचालन हेतु प्रतिबद्ध रही है।

27.2 डीपीई दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड की संरचना हेतु तीन अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों की नियुक्ति के लिए मंत्रालय से अनुरोध किया गया था। दो निदेशक 26.03.2013 से 26.03.2016 तक कार्यरत रहे। इसके पश्चात नियुक्तियां नहीं हुईं।

27.3 कंपनी ने सभी बोर्ड सदस्यों व वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता लागू की है।

27.4 वर्ष 2024-25 में बोर्ड बैठकें निम्न तिथियों को हुई:

बोर्ड बैठक सं.	बैठक का दिनांक
263	27.05.2024
264	30.09.2024
265	24.12.2024
266	28.03.2025

निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

27.5 लेखापरीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति -

26.03.2013 को दो गैर-सरकारी अंशकालिक निदेशकों की नियुक्ति के बाद 17.05.2013 को लेखा परीक्षा समिति और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया गया। स्वतन्त्र निदेशकों के कार्यकाल 25.03.2016 को पूर्ण होने के बाद केवल उपलब्ध निदेशकों में से अंकेक्षण समिति का गठन किया गया था। लेकिन वर्तमान में अंकेक्षण समिति एवं पारिश्रमिक समिति दोनों ही कार्यशील नहीं है।

27.6 पिछली तीन वार्षिक आम बैठकों का विवरण:

बैठक सं.	बैठका का दिनांक
52 nd	31.12.2022
53 rd	18.08.2023
54 th	13.08.2024

27.7. प्रकटीकरण- कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 के लागू लेखांकन मानकों/प्रावधानों के अनुसार प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के पारिश्रमिक और संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण सहित वार्षिक खातों में आवश्यक प्रकटीकरण किया है।

27.8 संचार के साधन- कंपनी अपने शेयरधारकों से अपनी वार्षिक रिपोर्ट, आम बैठक और वेबसाइट के माध्यम से खुलासे के माध्यम से संवाद करती है। सभी महत्वपूर्ण जानकारी और घटनाओं को कंपनी की वेबसाइट www.bharatpumps.co.in पर देखा जा सकता है।

28. निदेशकों की जिम्मेदारी का विवरण:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के अनुपालन में, निदेशकों ने वर्ष 2024-25 के वार्षिक खातों के संबंध में निम्नानुसार पुष्टि की:

क) कि वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था, साथ ही भौतिक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया था।

ख) कि निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और ऐसे निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण दिया जा सके।

ग) कि निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी।

घ) कि निदेशकों ने कंपनी को बंद करने से संबंधित भारत सरकार के निर्देशों का अनुपालन करने के लिए कुछ प्रकट विचलन को छोड़कर, 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक लेखे चालू व्यवसाय के आधार पर तैयार किए थे।

ई) कि निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही हैं।

29. आभार:

निदेशक मंडल भारत सरकार, विशेष रूप से भारी उद्योग मंत्रालय, साथ ही राज्य सरकार द्वारा दिए गए निरंतर समर्थन, मार्गदर्शन और सहयोग के लिए अपनी हार्दिक कृतज्ञता और प्रशंसा व्यक्त करना चाहता है।

बोर्ड बीएचईएल, ईआईएल और ओएनजीसी से प्राप्त निरंतर समर्थन और सहयोग के लिए भी अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता है।

निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा के प्रधान निदेशक और लेखा परीक्षा बोर्ड के पदेन सदस्य, सांविधिक लेखा परीक्षकों और कंपनी के बैंकरों द्वारा दिए गए सहयोग को भी स्वीकार करते हैं और उनकी सराहना करते हैं।

अंत में, बोर्ड इस अवसर पर विभिन्न स्तरों पर सभी संविदात्मक और सलाहकार कर्मचारियों द्वारा किए गए समर्पित प्रयासों और बहुमूल्य योगदान के लिए अपनी हार्दिक प्रशंसा व्यक्त करता है,

जो कंपनी की समापन गतिविधियों के सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करने में सहायक रहे हैं।

भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लि० के
निदेशक मण्डल की ओर से



(के. सदाशिव मूर्ति)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

दिनांक : 09.06.2025

स्थान : नई दिल्ली

वार्षिक विवरण का सारांश

31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के अन्त में
(कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) और कम्पनी
(प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12 (1) के अधीन) फार्म नं. एम.जी.टी.-9

I. पंजीयन एवं अन्य विवरण :

निगम परिचय संख्या	U28991UP1970GOI003577
पंजीयन तिथि	01/01/1970
कम्पनी का नाम	भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लि०
पंजीकृत कार्यालय का पता एवं सम्पर्क विवरण	मिर्जापुर रोड, नैनी, इलाहाबाद - 211010 वेबसाइट : www.bharatpumps.co.in
क्या सूचीबद्ध कम्पनी है?	नहीं
पंजीयन/स्थानान्तरण एजेंट का नाम, पता एवं सम्पर्क विवरण, यदि हो	लागू नहीं

II. कम्पनी की मुख्य व्यावसायिक कार्य प्रणाली

कम्पनी के कुल व्यवसाय के 10 प्रतिशत से अधिक की व्यावसायिक गतिविधियाँ वर्णित की जायेंगी।

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पादों / सेवाओं का कोड	कम्पनी के कुल वार्षिक बिक्री का प्रतिशत
1	पम्पस	8413	0
2	कम्प्रेसर्स	8414	0
3	सम्पीडित गैस सिलिंडर्स	7311	0

III. नियंत्रक सहायक एवं साझेदार कम्पनियों का विवरण

लागू नहीं

IV. अंश नियंत्रक नमूना (कुल साम्य की साम्य अंश पूँजी)

इस समय कुल प्रदत्त पूँजी के समस्त अंश, एक अंश को छोड़कर जो अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक बी०पी०सी०एल० के नाम में है, भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग के नामित के माध्यम से भारत सरकार के राष्ट्रपति के नाम में है।

अंश धारकों की श्रेणी	वर्ष के प्रारम्भ में 01.04.2024 को अंशों की संख्या				वर्ष के अन्त में 31.03.2025 को अंशों की संख्या				वर्ष के दौरान % बदलाव
अ- भारतीय	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल अंशों का %	
1. भारत सरकार	-	5,35,299	5,35,299	99.99	-	5,35,299	5,35,299	99.99	-
2. सी.एम.डी., बी.पी.सी.एल.	-	1	1	00.01	-	1	1	00.01	-
3. कुल	-	5,35,300	5,35,300	100	-	5,35,300	5,35,300	100	-

वार्षिक विवरण का सारांश (क्रमशः)

V. कर्जदारी

कम्पनी के बकाया ऋण / संभूति एवं अदेय ब्याज

	जमा राशि को छोड़कर सुरक्षित ऋण (रु. लाख में)	असुरक्षित ऋण (रु. लाख में)	जमा (रु. लाख में)	कुल कर्जदारी (रु. लाख में)
वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में कर्जदारी				
1- मूल राशि	0.00	11159.00	0.00	11159.00
2- न दिया गया ब्याज	0.00	5270.42	0.00	5270.42
3- संभूति ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	0.00	16429.42	0.00	16429.42
वित्तीय वर्ष के दौरान कर्जदारी में परिवर्तन				
1- बढ़ोत्तरी	0.00	0.00	0.00	0.00
2- घटाव	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल बदलाव	0.00	0.00	0.00	0.00
वित्तीय वर्ष के अन्त में कर्जदारी				
1- मूलधन	0.00	11159.00	0.00	11159.00
2- देय किन्तु न दिया गया ब्याज	0.00	5270.42	0.00	5270.42
3- संभूत ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (1+2+3)	0.00	16429.42	0.00	16429.42

वर्ष 2024-2025 के दौरान निदेशकों की उपस्थिति

क्रम सं०	निदेशकों के नाम एवं पद	कार्यकाल के दौरान हुई कुल बोर्ड मीटिंग	बोर्ड मीटिंग में उपस्थिति की कुल संख्या
1.	श्री के. सदाशिव मूर्ति अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	04	04
2.	श्री ए.के. दीवान निदेशक	04	04
3.	श्री नवीन कौल निदेशक	03	03
4.	श्री के.एन. रमेश निदेशक	03	03
5.	श्री उपेन्द्र कुमार वर्मा निदेशक	02	02
6.	श्री एस. के. सक्सेना निदेशक	01	01
7.	श्री आई. साई राम निदेशक	01	01

कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा
उद्योग एवं कारपोरेट कार्य
ऑडिट भवन, आई.पी. एस्टेट
नई दिल्ली-110 002



Supreme Audit Institution of India
सर्वोच्च गणितंत्र
Incorporated in India by Public Interest

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT
INDUSTRY AND CORPORATE AFFAIRS
AUDIT BHAWAN, I.P. ESTATE

संख्या: एएसजी-111/2025/आपिक लेखापरीक्षा/
बीपीसीएल/2024-25/2025-26/85-86

दिनांक / DATE 05 JUN 2025

सेवा में

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
भारत पम्प एवं कंप्रेसर्स लिमिटेड,
फ्लैट संख्या आर 21, 22, चतुर्थ तल,
परिचरित अपार्टमेंट, श्रीहिल्स रोड
ओपोज़िट ग्रेट एथनी गर्ल्स इंटर कॉलेज
प्रयागराज, उत्तर प्रदेश - 211 002

विषय: कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारत पम्प एवं कंप्रेसर्स लिमिटेड के वार्षिक लेखों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणियाँ

सहोदय,

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6) (b) के अंतर्गत 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारत पम्प एवं कंप्रेसर्स लिमिटेड (Bharat Pumps & Compressors Limited) के वार्षिक लेखों पर उपरोक्त विषय संबंधित संलग्न पत्र अट्रेपित है।

भवदीया,

र.स. ए. पंडा
(एस. आह्लादिनी पंडा)
महानिदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

संलग्नक:- यथोपरि

Ph : +91-11-23702357

Fax : +91-11-23702359

E-mail : phica@cg.gov.in

दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद के लेखाओं पर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (6) (बी) के अन्तर्गत भारत के नियन्त्रक तथा महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ :

कम्पनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अनुरूप 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद के वित्तीय विवरण की तैयारी का उत्तरदायित्व कम्पनी के प्रबंधन का है। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139(5) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त किए गए वैधानिक लेखा परीक्षक कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत इन वित्तीय विवरणों के लिए अपनी राय हेतु उत्तरदायी हैं जो अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्धारित अंकेक्षण पर मानक के अनुरूप स्वतंत्र अंकेक्षण पर आधारित होगा। ऐसा कहा गया है कि यह दिनांक 05 मई, 2025 के अपने अंकेक्षण रिपोर्ट के माध्यम से उनके द्वारा किया गया है।

मैंने भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक की ओर से भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के वित्तीय विवरणों का अधिनियम की धारा 143(6) (अ) के तहत पूरक अंकेक्षण न करने का निर्णय लिया है।

र.स. ए. पंडा

(एस. आह्लादिनी पंडा)
महा निदेशक लेखा परीक्षा
(उद्योग एवं कारपोरेट कार्य)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 05.06.2025

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के सदस्यों

एकल वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

हमने भारत पंप एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड ('कंपनी') के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च 2025 तक की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण और उस वर्ष के लिए कैश प्रवाह का विवरण, टिप्पणी और स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के लिए, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक नोटों के सारांश (सामूहिक रूप से इसके बाद स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के रूप में संदर्भित) भी शामिल है।

राय:

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी रिपोर्ट के योग्य राय अनुभाग के लिए आधार में वर्णित मामलों के प्रभावों को छोड़कर (हमारी योग्य राय का संचयी प्रभाव रुपये 2175.49 लाख से हानि कम दर्शित है।), उपरोक्त स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा आवश्यक तरीके से आवश्यक जानकारी देते हैं और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2025 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए इसका घाटा और इसका नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष दृश्य देते हैं।

योग्य राय के लिए आधार:

(ए) रु. 2175.49 लाख -सरकार से प्राप्त ऋण की राशि पर ब्याज का प्रावधान न करना :

हम नोट संख्या 29(iv) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं जिसमें कंपनी के प्रबंधन द्वारा यह कहा गया है कि वित्तीय विवरण चल रही सतत अवधारणा को लागू करने में कुछ विचलन के साथ तैयार किया गया है क्योंकि भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने कंपनी के संचालन और बंद करने के लिए दिनांक 17.12.2020 के पत्र के माध्यम से केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की सूचना दी है। तदनुसार, कंपनी ने सरकार के ऋण पर ब्याज की राशि रु 2175.49 लाख की देयता का प्रावधान नहीं किया है। इस प्रकार, यह लेखांकन सिद्धांत/उपार्जन अवधारणा का उल्लंघन है।

(बी) आकस्मिक देनदारियों के तहत लंबित अदालती मामलों को परिमानित न करना:

11 मामलों में से 780.00 लाख रुपये की राशि के 4 मामलों के सिविल सूट के संबंध में आकस्मिक देनदारियों से संबंधित नोट संख्या 29 (xvii) (ए) (1) पर ध्यान आकर्षित किया जाता है। शेष 7 मामलों के लिए कोई परिमाणीकरण नहीं किया गया है।

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा (एएस) पर मानकों के अनुसार अपनी लेखापरीक्षा की।

हमारी रिपोर्ट में उन मानकों के तहत स्वतंत्र विवरण आगे दिया गया है। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए ऑडिट साक्ष्य स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर हमारी योग्य राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

अन्य मामले- गोइंग कंसर्न से सम्बन्धित भौतिक अनिश्चितता:

हम नोट संख्या 29(i),(ii) और (iii) की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं, जिसमें कंपनी के प्रबंधन द्वारा कहा गया है कि स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय की अवधारणा को लागू करने में कुछ विचलन के साथ तैयार किया गया है क्योंकि भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के पत्र दिनांक 17.12.2020 के माध्यम से कंपनी का संचालन बंद करने और कंपनी को बंद करने और कुछ देनदारियों को फ्रीज करने के निर्णय की सूचना दी है। प्रबंधन के साथ चर्चा के अनुसार, कंपनी का संचालन 2021-22 के दौरान पहले ही बंद हो चुका है, सभी चल संपत्तियां बेच दी गई हैं, भूमि और स्थायी ढांचा भी 2022-23 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दिया गया है और अन्य अचल संपत्तियां (आवासीय फ्लैट) एनएलएमसी (राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम) को बुक वैल्यू पर हस्तांतरित कर दी गई हैं और शेष बंद करने की गतिविधियां प्रक्रियाधीन हैं। इस प्रकार समयबद्ध तरीके से कम्पनी का समापन हो जायेगा। हमारे विचार से कम्पनी गोइंग कंसर्न (चलायमान उपक्रम) नहीं रह गयी है, तदनुसार हमारी रिपोर्ट को उपयुक्त तरीके से संशोधित किया गया है।

एकल वित्तीय विवरण और उसके ऊपर अंकेक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य सूचनाएँ : कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचना के लिए उत्तरदायी है, अन्य सूचनाएँ निदेशकों के प्रतिवेदन एवं उनके संलग्नक तथा व्यापारिक दायित्व रिपोर्ट में उल्लिखित रहती हैं परंतु एकल वित्तीय विवरण और हमारी अंकेक्षक रिपोर्ट में शामिल नहीं रहती है।

हमारे द्वारा वित्तीय विवरण पर व्यक्त किए गए विचार अन्य सूचनाओं को आच्छादित नहीं करती तथा हम अपना पूर्ण आश्वासन भी इसपर व्यक्त नहीं करते।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि ऊपर बताई गई अन्य सूचनाओं को उनके उपलब्ध हो जाने के बाद पढ़ें, और ऐसा करने पर विचार करें कि क्या वित्तीय विवरणों के साथ अन्य सूचनाओं की तुलना में लेखा परीक्षा में प्राप्त हमारा ज्ञानभौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत बयान किय गया है।

हमारे द्वारा किये गये कार्यों के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यदि अन्य सूचनाओं में कुछ भौतिक रूप से संगत है तो हमें रिपोर्ट

करना चाहिए। इस संबंध में हमें कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है।

एकल वित्तीय विवरणों के लिए प्रबन्धन की जिम्मेदारियाँ :

कम्पनी का निदेशक मंडल कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 134(5) में, इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के सम्बन्ध में इस मामले के लिये जिम्मेदार है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन तथा भारत में आमतौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप कम्पनी के नगदी प्रवाह पर सही और निष्पक्ष राय दें, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत विनिर्दिष्ट लेखा मानक शामिल हैं, तथा उन्हें कम्पनी (लेखा) नियम के साथ पढ़ें।

इस दायित्व में कम्पनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा के लिये अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप उचित लेखा रिकार्ड्स का रखरखाव और धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं की पहचान तथा रोकथाम, उचित लेखा नीतियों का चयन और उपयोग, निर्णय एवं आंकलन करना जो उचित और विवेकपूर्ण हो और आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो प्रभावी रूप से लेखा रिकार्ड्स की शुद्धता और परिपूर्णता को सुनिश्चित करने हेतु कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरण तैयार करने और इसके प्रस्तुतिकरण के लिए उपयुक्त था, जो सत्य और निष्पक्ष राय देने में सक्षम हो, तथा जो धोखाधड़ी तथा भूलवश हुए वस्तुगत गलत बयानी से मुक्त हो, भी शामिल है। स्टैंडअलोन वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन एक चालू चिंता के रूप में कंपनी को जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, चालू चिंता से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू चिंता के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने परिचालन बंद करने या ऐसा उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियाँ

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या वित्तीय विवरण संपूर्ण रूप से भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि हो, अथवा एक ऐसा लेखा परीक्षक प्रतिवेदन जारी करने में जिसमें, हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन का एक उच्च स्तर है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एस.ए. के अनुसार की गई लेखा परीक्षा किसी भौतिक गलतबयानी के मौजूद होने पर हमेशा ही उसका पता लगाएगी। गलतबयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और इसे व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप में भौतिक माना जाएगा, और समेकित रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की भी यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एस.ए. के अनुसार लेखा परीक्षा के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरी लेखा परीक्षा के दौरान पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। साथ ही हम:

- वित्तीय विवरणों की सामग्री की गलतबयानी के जोखिमों को

पहचानते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे इसका कारण धोखाधड़ी या त्रुटियों, उन जोखिमों पर प्रतिक्रिया के अनुसार लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं की रूपरेखा बनाते हैं और निष्पादित करते हैं, और ऐसे लेखा परीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। गलतबयानी से कहीं अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत प्रतिनिधित्व या जबरन आंतरिक नियंत्रण शामिल हो सकता है।

- लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं, जो परिस्थितियों में उपयुक्त हो। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (I) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता से हो रहा है।
- उपयोग की जाने वाली लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता से हो रहा है।
- लेखा से प्राप्त होने वाली चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता और प्राप्त लेखा परीक्षा के साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, कि क्या किसी घटना या परिस्थितियों से संबंधित सामग्री में अनिश्चितता मौजूद है जो चिंता के रूप में जारी रहने की कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, यदि इस तरह के खुलासे हमारी राय को संशोधित करने के लिए उपयुक्त है, तो हमें अपने लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में इससे संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाएं या स्थितियाँ कंपनी को एक जारी चिंता के रूप में कार्य करने से रोक सकती हैं।
- प्रकटनों सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री और इस बात का मूल्यांकन करते हैं कि वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हो जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करता हो।

भौतिकता एकल वित्तीय वक्तव्यों में गलतफहमी का परिमाण है, जो व्यक्तिगत रूप से या समेकित रूप से, यह संभव बनाता है कि एकल वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारी लेखा परीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करने में और (ii) एकल वित्तीय विवरणों में किसी भी पहचानी गई गलतबयानी के प्रभाव का मूल्यांकन करने में, मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं;

अन्य मामलों के साथ ही हम, आंतरिक प्रशासन के जिम्मेदार लोगों, महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के साथ ही लेखा परीक्षा की योजनाबद्ध

गुंजाइश और समय के साथ ही उन, कमियों को शामिल करते हैं जिनकी पहचान हम अपनी लेखा परीक्षा के दौरान करते हैं।

हम प्रशासन में शामिल लोगों को भी एक ऐसा विवरण उपलब्ध करवाते हैं जिसे हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं, और हमारी उन स्वतंत्रताओं का वहन करने के लिए उपयुक्त रूप से आवश्यक सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ को तथा जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों के साथ तैयार किया है।

अन्य कानूनी और विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट :

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी, कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2020 (“आदेश”) द्वारा यथा अपेक्षित, हम अनुलग्नक ‘ए’ में आदेश के पैराग्राफ 3 एवं 4 में विनिर्दिष्ट तथ्यों पर, विवरण पेश करते हैं।
2. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा (5) के संबंध में जांच किए जाने वाले क्षेत्रों की विनिर्दिष्ट करते हुए निर्देश जारी किए हैं, जिनका अनुपालन अनुलग्नक ‘बी’ में दिया गया है।
3. अधिनियम की धारा 143(3) की अपेक्षा के अनुसार, हम सूचित करते हैं कि :
 - ए. हमने सभी जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजना से आवश्यक थे;
 - बी. हमारी राय में, कंपनी ने कानून की अपेक्षाओं के अनुसार उपयुक्त बही खाते रखे हैं जैसा कि उन बहियों की हमारी जांच से प्रतीत होता है;
 - सी. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन-पत्र, लाभ व हानि विवरण/(अन्य व्यापक आय सहित), और नकदी प्रवाह विवरण सुसंगत बही खातों के अनुरूप हैं;
 - डी. हमारी राय में, उपर्युक्त लेखांकन मानक एकल वित्तीय विवरणों में अधिनियम के अंतर्गत जारी सुसंगत नियमों के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों का पालन किया गया है।
 - ई. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक सरकारी कंपनी है। अतएव, भारत सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना सं. 463(ई) दिनांक 5 जून, 2015 के अनुपालन में अधिनियम की धारा 164(2) का प्रावधान लागू नहीं होता है।

एफ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों और ऐसे नियंत्रणों के प्रभावकारी ऑपरेशन की पर्याप्तता के संबंध में “अनुलग्नक-सी” में हमारी अलग रिपोर्ट का संदर्भ लें; और

जी. कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम 2014 के नियम 11 के अनुसार ऑडिटर की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हम:

- (1) जैसा कि हमें सूचित किया गया है, कंपनी के पास 31 मार्च 2025 तक मुकदमे लंबित हैं जैसा कि नोट संख्या 29 (xvii) (ए) ‘आकस्मिक देनदारियों’ में बताया गया है, जिसका इसके स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में इसकी वित्तीय स्थिति पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।
- (2) कंपनी को डेरिवेटिव सहित दीर्घकालिक अनुबंध पर कोई अनुमानित हानि नहीं हुई।
- (3) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक, शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
- (4) वर्ष के लिए अपने लेखा-बही को बनाए रखने के लिए कंपनी बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रही है, जिसमें ऑडिट ट्रेल बनाए रखने की सुविधा नहीं है।

कृते नागेंद्र गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि0 सं0 003146 सी)



(पंकज दुबे)

साझीदार

(सदस्य सं0 077578)

UDIN : 25077578BMNYGN1438

दिनांक : 05 मई, 2025

स्थान : प्रयागराज

भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स के सदस्यों के लिए स्वतन्त्र अंकेक्षण प्रतिवेदन का संलग्नक 'ए'

(31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड के सदस्यों को सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' शीर्षक के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

हमारे द्वारा मांगी गई और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और लेखापरीक्षा के सामान्य पाठ्यक्रम में हमारे द्वारा जांच की गई पुस्तकों और अभिलेखों के संदर्भ में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, हम निम्नानुसार बताते हैं:

(i) संपत्तियों के सम्बन्ध में :

- (ए) (अ) कंपनी ने अचल संपत्तियों के मात्रात्मक विवरण और स्थितियों सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है। हालाँकि सभी अचल संपत्तियाँ (अचल संपत्तियों को छोड़कर जिन्हें यूपी सरकार/एनएलएमसी को हस्तांतरित कर दिया गया है) पहले ही बेची जा चुकी हैं;
- (ब) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं। हालाँकि ऐसी सभी संपत्तियाँ बिक चुकी हैं;
- (बी) हमें दी गयी जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है क्योंकि ऐसी सम्पत्तियाँ थी ही नहीं।
- (सी) कंपनी के पास भूमि एवं भवन के रूप में कोई भी सम्पत्ति नहीं है अतः उनके स्वामित्व विलेख के सत्यापन का औचित्य ही नहीं है।
- (डी) वर्ष के दौरान संपत्ति, संयंत्रों और उपकरणों (परिसंपत्ति का उपयोग करने का अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति का ऐसा कोई पुनर्मूल्यांकन नहीं किया गया है;

(ई) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसमें बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित है।

(ii) (ए) कंपनी द्वारा कोई इन्वेंट्री नहीं रखी गई है और इस प्रकार वर्ष के दौरान इन्वेंट्री का कोई भी भौतिक सत्यापन किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(बी) कंपनी को वर्ष 2024-25 के दौरान किसी भी समय 5 करोड़ से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत नहीं की गई है;

(iii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और खातों की किताबों की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों को कोई निवेश नहीं किया है / गारंटी नहीं दी है / सुरक्षित या असुरक्षित कोई ऋण या अग्रिम और सीमित देयता भागीदारी या अधिनियम की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल अन्य पक्ष को नहीं दिया है। इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 के उप-खंड (ए), (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ) के प्रावधान लागू नहीं हैं और इसलिए उन पर टिप्पणी नहीं की गई है;

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण, निवेश, गारंटी और प्रतिभूतियाँ नहीं दी हैं, जिस पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान लागू होते हैं;

(v) कंपनी ने भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों और धारा 73 से 76 के प्रावधान या कंपनी अधिनियम 2013 और कंपनी नियम, 2015 के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान के अनुसार जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। जनता से स्वीकार की गई जमाराशियों के संबंध में लागू नहीं हैं।

(vi) हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) और कंपनी (लागत रिकॉर्ड और ऑडिट) नियम 2014 के तहत कंपनी द्वारा प्रदान की गई किसी भी सेवा/गतिविधि के लिए संशोधित लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया गया है।

(vii) वैधानिक बकाया के संबंध में:

ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा प्रस्तुत और जांच की गई पुस्तकों और रिकॉर्ड के अनुसार, कंपनी आमतौर पर भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, जीएसटी, उपकर और अन्य उचित प्राधिकारियों के पास लागू सीमा तक वैधानिक बकाया सहित अविवादित वैधानिक बकाया जमा करने में नियमित है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2025 को देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए कोई निर्विवाद वैधानिक बकाया नहीं है;

बी) वर्ष के दौरान, कंपनी ने आयकर का पुराना बकाया जमा कर दिया है और किसी भी देनदारी को आकस्मिक देनदारियों के रूप में नहीं दिखाया गया है। तदनुसार, 31/03/2025 तक वैधानिक बकाया से संबंधित कोई आकस्मिक देनदारियां मौजूद नहीं हैं।

(viii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऐसा कोई लेनदेन नहीं है जो खाते की किताबों में दर्ज नहीं किया गया था, जिसे आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो।

(ix) लिए गए ऋण के संबंध में:

ए) हमारे द्वारा जांचे गए कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने भारत सरकार से गैर योजना ऋण को छोड़कर

वित्तीय संस्थान और डिबेंचर धारकों से कोई ऋण प्राप्त नहीं किया है। कंपनी ने सरकारी ऋण की पुनर्भुगतान में चूक की है रुपये 16429 लाख के ब्याज सहित. निम्नलिखित विवरण के अनुसार:

(₹ लाख में)

उधार लेने की प्रकृति, ऋण प्रतिभूतियों सहित	ऋणदाता का नाम	देय तिथि पर भुगतान नहीं की गई राशि (लाख रुपये में)	व्या मूलधन या ब्याज (लाख रुपये में)	विलंबित दिनों की संख्या	टिप्पणियां, यदि कोई हो
गैर-योजना ऋण	भारत सरकार	16429	मूलधन - 11159 ब्याज- 5270	देय तिथि- (विलंब 4 वर्ष से 8 वर्ष)	***

*** भारत सरकार के निर्णय के अनुसार सरकार के पत्र दिनांक 17/12/2020 के माध्यम से, कंपनी बंद करने की प्रक्रिया में है। रुपये के एकमुश्त अनुदान लिए 316.09 करोड़ रुपये सभी हितधारकों की देनदारियों/बकाया के निर्वहन के लिये मंजूरी दे दी है और सरकारी ऋण तथा ब्याज 31/03/2020 पर रोक दिया है तथा यह उल्लेख भी किया की ग्राहकों से वसूली / चल संपत्ति की बिक्री का भुगतान सरकार को मौजूदा देय ऋण और ब्याज की राशि रु. 164.29 करोड़ के खिलाफ किया जाएगा। तथा बचे हुए ऋण और ब्याज, यदि कोई हो, माफ किया जायेगा।

बी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है;

सी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऋण उसी उद्देश्य के लिए लागू किए गए थे जिसके लिए ऋण प्राप्त किए गए थे;

डी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर कोई धन नहीं जुटाया गया है जिसका उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए किया गया हो;

ई) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों या संयुक्त उद्यमों के दायित्वों

को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है;

एफ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर ऋण नहीं उठाया है;

(X) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है।

(xi) ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और प्रबंधन के प्रतिनिधित्व के आधार पर जिस पर हमने भरोसा किया है, कंपनी द्वारा या उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

बी) वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के तहत कोई रिपोर्ट ऑडिटर्स द्वारा कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्रीय सरकार के साथ दायर नहीं की गई है।

सी) लेखापरीक्षक के रूप में, हमें वर्ष के दौरान कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(xii) हमारी राय में, कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए, आदेश के खंड 3(xii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं की गई है।

(xiii) रिपोर्टिंग के उद्देश्य से की गई ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन द्वारा दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और विवरण संबंधित पक्ष लेनदेन को लागू लेखांकन मानकों के

अनुसार, स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में विधिवत प्रकट किया गया है।

(xiv) कंपनी ने सरकार के समापन निर्णय (भारत सरकार ने 17/12/2020 को सूचित किया) के अनुपालन में परिचालन बंद करने के कारण आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त नहीं किया है। । वर्ष के दौरान कारोबार शून्य था. इसलिए, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xiv) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

(xv) कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 192 के तहत निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है।

(xvi) ए) कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

बी) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियां संचालित नहीं की हैं।

सी) कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है।

डी) प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास समूह के हिस्से के रूप में कोई कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) सीआईसी नहीं है।

(xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में नकद घाटा हो रहा है क्योंकि कंपनी पहले से ही बंद होने की प्रक्रिया में है और सरकार के बंद करने के फैसले (भारत सरकार ने 17/12/2020 को सूचित किया) के अनुपालन में 2020-21 से परिचालन बंद कर दिया गया है।

(xviii) वर्ष के दौरान वैधानिक लेखापरीक्षकों के इस्तीफे का कोई मामला सामने नहीं आया है।

(xix) हालाँकि, कंपनी भारत सरकार के निर्णय के अनुरूप बंद/बंद होने की प्रक्रिया में है लेकिन कंपनी बैलेंस

शीट की तारीख पर मौजूद अपनी देनदारियों बैलेंस शीट की तारीख से 1 वर्ष की अवधि के भीतर देय जब भी वे होती हैं को सरकार से प्राप्त गैर-वापसीयोग्य अनुदान तथा चल संपत्तियों की बिक्री के विरुद्ध प्राप्त/स्वयं उत्पन्न निधि द्वारा पूरा करने में सक्षम है।

(XX) कंपनी के पास कोई व्यावसायिक संचालन/चालू परियोजनाएं नहीं हैं और कंपनी ने दूसरे के अनुपालन में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में खर्च न की गई राशि हस्तांतरित नहीं की है जो की उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) का परंतुक के अनुरूप है;

(xxi) कंपनी की कोई सहायक कंपनी नहीं है। इसलिए, कंपनी को समेकित वित्तीय विवरण तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश के पैराग्राफ 3 के खंड (xxi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

कृते नागेंद्र गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि० सं० 003146 सी)



(पंकज दुबे)

साझीदार

(सदस्य सं० 077578)

UDIN : 25077578BMNYGN1438

दिनांक : 05 मई, 2025


स्थान : प्रयागराज

**भारत पम्पस् एवं कम्प्रेसर्स लिमिटेड, नैनी, इलाहाबाद के 31 मार्च 2025 को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में
कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अन्तर्गत निर्देशन पर टिप्पणियाँ।**

संलग्नक - 'बी'

क्रम सं०	उप निर्देशन	टिप्पणियाँ
1.	क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के वित्तीय प्रभाव के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।	हाँ। कंपनी का लेखा-जोखा कम्प्यूटरीकृत है। सभी लेन-देन अंततः आईटी सिस्टम के माध्यम से किए जा रहे हैं। इस प्रकार, न तो खातों की अखंडता पर कोई प्रभाव पड़ता है और न ही आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन का कोई वित्तीय प्रभाव पड़ता है।
2.	क्या कंपनी के ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।	भारत सरकार के निर्णय के अनुसार, पत्र दिनांक 17.12.2020 के माध्यम से, कंपनी बंद करने की प्रक्रिया में है। सरकार, रुपये के एकमुश्त अनुदान को मंजूरी दे दी है। सभी हितधारकों की देनदारियों/बकाया के निर्वहन के लिए 316.09 करोड़ रुपये और सरकारी ब्याज पर 31.03.2020 तक रोक इस उल्लेख के साथ कि ग्राहकों से वसूली / चल संपत्ति की बिक्री का भुगतान सरकार को ऋण और ब्याज की राशि रु. 164.29 करोड़ के भुगतान करने में किया जाएगा। और सरकार की शेष अवैतनिक राशि ऋण और ब्याज, यदि कोई हो, माफ किया जायेगा। वर्ष के दौरान कंपनी ने सरकार की ऋण राशि पर ब्याज रुपये 2175.49 लाख का प्रावधान नहीं किया है।
3.	क्या केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसके नियम और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची।	ऑडिट के तहत वर्ष के दौरान कंपनी को ऐसी कोई धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) प्राप्त नहीं हुई है और इसलिए कोई भी टिप्पणी लागू नहीं होगी।

कृते नागेंद्र गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि० सं० 003146 सी)


(पंकज दुबे)

साझीदार

(सदस्य सं० 077578)

UDIN : 25077578BMNYGN1438

दिनांक : 05 मई, 2025


स्थान : प्रयागराज

अनुपालन प्रमाण-पत्र

हमने कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों/उपनिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए मेसर्स भारत पंप एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड के खातों का ऑडिट किया है। और प्रमाणित करते हैं कि हमने हमें जारी किए

गए सभी निर्देशों/उप निर्देशों का अनुपालन किया है।

कृते नागेंद्र गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि० सं० 003146 सी)


(पंकज दुबे)

साझीदार

(सदस्य सं० 077578)

UDIN : 25077578BMNYGN1438

दिनांक : 05 मई, 2025

स्थान : प्रयागराज

स्वतंत्र लेखा - परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक 'सी' जो कि सम दिनांक को भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड के एकल वित्तीय विवरण पर है :

(31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (3) के अनुसार और हमारी रिपोर्ट की विधिक और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट के पैरा 3 (एफ) के संदर्भ में)

कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियमन) की धारा 143 की उपधारा 3 के खण्ड (प) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने भारत पम्पस एण्ड कम्प्रेसर्स लि. के वित्तीय रिपोर्टिंग पर प्रबंधन द्वारा व्यक्तियों एवं निर्धारित प्रश्नावलियों पर विश्वास किया है, तथा आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अंकेक्षण उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के एकल (स्टैंडअलोन) वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के साथ किया है।

वित्तीय आंतरिक नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी :

कंपनी का प्रबंधन इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर मार्गदर्शी नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों का विचार करके कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और इसके प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। इस जिम्मेदारी में कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसार कंपनी की नीतियों के अनुपालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी पता लगाना और रोकथाम करना, लेखा अभिलेखों की सत्यता और संपूर्णता, तथा विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को यथासमय तैयार करने सहित इसके कार्यकलापों का यथासमय और प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने के लिए उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रचना, कार्यान्वयन और प्रबंधन शामिल है, जो प्रभावी रूप से संचालित हो।

लेखा परीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारी लेखा-परीक्षा पर आधारित कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय व्यक्त करने की है। इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए लेखा-परीक्षा के मानकों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर मार्गदर्शी नोट तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत अपेक्षाओं के अनुसार हमने हमारा अंकेक्षण किया है, आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर लेखपरीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा पर लागू है, और दोनों इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों से अपेक्षित है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का

अनुपालन करें और योजना बनायें और लेखा-परीक्षा यह आश्वस्त होने के लिए करें कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित किया गया और प्रबंधन किया गया और ऐसे नियंत्रण सभी भौतिकीय मायनों में प्रभावी रूप से संचालित हैं

हमारी लेखा परीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और इसके प्रभावी संचालन के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं का निष्पादन करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर सहमति प्राप्त करना, भौतिकीय कमजोरी होने के जोखिम का निर्धारण करना, निर्धारित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की रचना और प्रभावी संचालन का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रिया अंकेक्षकों के निर्णय पर निर्भर करती है जिसमें वित्तीय विवरणों की भौतिकीय गड़बड़ी के जोखिम का निर्धारण शामिल है, फिर चाहे वह धोखे से हो या त्रुटि से हो।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा-परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखा-परीक्षा राय हेतु एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की व्याख्या

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने और वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के संबंध में उचित आश्वासन उपलब्ध कराने के लिए बनायी गई एक प्रक्रिया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वह नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो :

- (1) अभिलेखों के रखरखाव के संबंध में, जो कंपनी की संपत्तियों के संव्यवहारों और प्रबंधनों का उपयुक्त विवरण सही और निष्पक्ष रूप से प्रदर्शित करते हो,
- (2) उपयुक्त आश्वासन उपलब्ध कराने के संबंध में कि आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरण बनाने की अनुमति के लिए अपेक्षित संव्यवहारों को अभिलेखित किया गया है और कंपनी की प्राप्तियों और व्ययों को केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसरण में ही किया जा रहा है, तथा
- (3) कंपनी की संपत्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या प्रबंधन का यथासमय पता लगाने या रोकथाम के संबंध में उपयुक्त आश्वासन

उपलब्ध कराने के लिए, जो वित्तीय विवरणों पर भौतिकीय प्रभाव डाल सकते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमा

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमा के कारण सॉफ्ट-गॉठ या अनुचित प्रबंधन से नियंत्रणों का उल्लंघन, गलती या धोखाधड़ी से भौतिकीय गलतबयानी हो सकती है, और पता नहीं चली हो। इसके अलावा, भावी, अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन का प्रदर्शन इस जोखिम के अधीन है कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में बदलाव का कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन का स्तर भ्रष्ट हो सकता है।

राय :

हमारी राय में तथा हमारी सूचना एवं स्पष्टीकरण पर विश्वास करते हुए, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 वित्तीय वर्ष में कोई भी उत्पादन कार्य नहीं किया है लेकिन अन्य वित्तीय लेनदेन के सम्बन्ध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण रखा है। और इन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में उल्लेखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों का विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण के मानदण्डों को पूरा किया है।

कृते नागेंद्र गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार
(फर्म रजि० सं० 003146 सी)



(पंकज दुबे)

साझीदार

(सदस्य सं० 077578)

UDIN : 25077578BMNYGN1438

दिनांक : 05 मई, 2025

स्थान : प्रयागराज


संतुलन - पत्र जैसा कि 31 मार्च, 2025 को

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	जैसा कि 31 मार्च, 2025 को था	जैसा कि 31 मार्च, 2024 को था
1	2	3	4
I. साम्य पूँजी और दायितायें			
(1) अंशधारियों की निधियाँ			
(अ) अंश पूँजी	1	5353.10	5353.10
(ब) सुरक्षित एवं अधिशेष	2	(20673.31) (15320.21)	(20415.84) (15062.74)
(2) गैर चालू दायितायें			
(अ) दीर्घ कालिक ऋण	3	0.00	0.00
(ब) अन्य दीर्घ कालिक दायितायें	4	0.00	0.00
(स) दीर्घ कालिक प्रावधान	5	0.00 0.00	0.00 0.00
(3) चालू दायितायें			
(अ) अल्प कालिक ऋण	6	0.00	0.00
(ब) व्यवसायिक देय		0.00	0.00
(स) अन्य चालू दायितायें	7	16433.22	16461.98
(द) अल्प कालिक प्रावधान	8	0.00 16433.22	0.00 16461.98
(4) अस्थगित कर देयताएँ	11	0.00	0.00
योग		1113.01	1399.24
II. सम्पत्तियाँ			
(1) गैर चालू सम्पत्तियाँ			
(अ) सम्पत्ति संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त सम्पत्तियाँ	9		
(i) सम्पत्ति, संयंत्र और उपकरण		0.00	6.01
(ii) अमूर्त सम्पत्तियाँ		0.00	0.00
		0.00	6.01
(अ) गैर चालू निवेश	10	0.00	0.00
(ब) दीर्घ कालिक ऋण एवं अग्रिम	12	0.00	0.00
(स) अन्य गैर चालू सम्पत्तियाँ	13	0.00 0.00	0.00 6.01
(2) चालू सम्पत्तियाँ			
(अ) माल सूची	14	0.00	0.00
(ब) व्यवसायिक प्राप्य	15	0.00	0.00
(स) नगद एवं नगद तुल्य	16	1105.43	1256.13
(द) लघु कालिक ऋण एवं अग्रिम	17	7.58 1113.01	137.10 1393.23
योग		1113.01	1399.24

जुड़ी हुयी टिप्पणियाँ 1 से 29 वित्तीय विवरण का अंगभूत अंग हैं।
हमारे सम दिनांक के प्रतिवेदन के संदर्भित हैं।

कृते नागेंद्र गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार



(पंकज दुबे)

साझीदार

(सदस्य सं0 077578)

UDIN : 25077578BMNYGN1438



(इन्द्रसेन सिंह)

मुख्य वित्त अधिकारी
तथा कम्पनी सचिव



(के.एन. रमेश)

निदेशक

DIN : 10795955



(के. सदाशिव मूर्ति)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

DIN : 09184201

स्थान : प्रयागराज

दिनांक : 05.05.2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष का लाभ-हानि विवरण

(₹ लाख में)

विवरण	टिप्पणी संख्या	समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2025 के लिए	समाप्ति वर्ष 31 मार्च, 2024 के लिए
1	2	3	4
(I) परिचालन से राजस्व :	18		
निर्मित माल की बिक्री एवं सेवाओं से सकल राजस्व		0.00	0.00
घटाये : जी.एस.टी.		0.00	0.00
निर्मित माल की बिक्री एवं सेवाओं से शुद्ध राजस्व		0.00	0.00
अन्य परिचालित राजस्व		0.00	0.00
(II) अन्य आय	19	111.85	373.57
(III) कुल राजस्व		111.85	373.57
(IV) व्यय :			
उपयोग किये गये पदार्थों का मूल्य	20	0.00	0.00
निर्मित एवं अर्धनिर्मित सामानों की माल सूची में बदलाव	21	0.00	0.00
कर्मचारी लाभ का खर्च	22	0.00	0.00
वित्तीय लागत		0.00	1614.92
अवमूल्यन एवं परिशोधन खर्च	9	0.21	0.28
अन्य खर्च	23	86.06	85.10
कुल खर्च		86.27	1700.30
विशेष और असाधारण मद एवं कर पूर्व लाभ		25.58	(1326.73)
पूर्ववर्ती खर्च एवं असाधारण मद	24	0.00	0.00
कर पूर्व लाभ		25.58	(1326.73)
कर खर्च :			
चालू कर		0.00	0.00
पूर्ववर्ती कर		283.05	3337.23
स्थगित कर		0.00	0.00
वर्ष का लाभ		(257.47)	(4663.96)
आय प्रति अंश (अंकित मूल्य ₹0 1000/- प्रति)			
मौलिक अंश		₹ (48.10)	₹ (871.26)
अमूल्यन एवं परिशोधन अंश		₹ (48.10)	₹ (871.26)

जुड़ी हुयी टिप्पणियाँ 1 से 29 वित्तीय विवरण का अंगभूत अंग हैं।
हमारे सम दिनांक के प्रतिवेदन के संदर्भित हैं।

कृते नागेंद्र गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार




(पंकज दुबे)

साझीदार

(सदस्य सं० 077578)

UDIN : 25077578BMNYGN1438



(इन्द्रसेन सिंह)

मुख्य वित्त अधिकारी

तथा कम्पनी सचिव



(के.एन. रमेश)

निदेशक

DIN : 10795955



(के. सदाशिव मूर्ति)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

DIN : 09184201

स्थान : प्रयागराज

दिनांक : 05.05.2025

31 मार्च, 2025 को समाप्त हुए वर्ष का रोकड़ प्रवाह विवरण


(₹ लाख में)

	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2025 के लिए	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए
(अ) कार्य की गतिविधियों से रोकड़ बहाव :		
कर से पूर्व लाभ	25.58	(1326.73)
समायोजन :-		
अवमूल्यन	0.21	0.28
ब्याज से आय	(75.75)	(303.19)
ब्याज से व्यय	0.00	1614.92
अवमूल्यन प्रतिलेखित	0.00	0.00
कार्य पूँजी बदलाव से पहले संचालित लाभ	(49.96)	(14.72)
कार्य पूँजी में बदलाव :		
भण्डारण में बढ़त / घटत	0.00	0.00
व्यवसायिक प्राप्तियों, ऋण एवं अग्रिम और अन्य सम्पत्तियों में बढ़त / घटत	0.00	7.25
व्यवसायिक देनदारी और अन्य दायिताओं में बढ़त/घटत	(28.76)	(1539.52)
कुल कार्यशील पूँजी बदलाव - घटत / (बढ़त)	(28.76)	(1532.27)
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नगद	(78.72)	(1546.99)
अदा किया गया कर	147.73	3367.55
समायोजित कर	0.00	0.00
प्रचालन गतिविधियों से शुद्ध नगद (अ)	(226.45)	(4914.54)
(ब) निवेश की गतिविधियों से रोकड़ बहाव :		
स्थायी परिसम्पत्तियों का क्रय एवं अस्थगित आय व्यय प्राप्त ब्याज	0.00	0.00
	75.75	326.20
निवेश गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ बहाव (ब)	75.75	326.20
(स) वित्त प्रबन्धन गतिविधियों से रोकड़ बहाव :		
अंश पूँजी में बढ़त / (घटत)	0.00	0.00
प्रावधानों से बढ़त / (घटत)	0.00	0.00
सुरक्षित एवं अतिरिक्त में बढ़त / (घटत)	0.00	0.00
लम्बे समय के कर्ज एवं अग्रिम में (बढ़त)/घटत	0.00	0.00
लम्बे अवधि की दायित्वों में बढ़त/(घटत)	0.00	0.00
अदा किया गया ब्याज	0.00	(1614.92)
लघु अवधि ऋण का पुनः भुगतान	0.00	0.00
अदा किया गया लाभांश और लाभांश कर	0.00	0.00
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध नगद (स)	0.00	(1614.92)
नकद एवं नकद पर्यायों में निवल वृद्धि (अ+ब+स)	(150.70)	(6203.26)
वर्ष के प्रारम्भ में नकद एवं नकद पर्याय	1256.13	7459.39
वर्ष के अन्त में नकद एवं नकद पर्याय	1105.43	1256.13
टिप्पणी :		
1. नकद एवं नकद पर्यायों के अवयव :		
नकद एवं बैंक अवशेष	43.41	39.25
अल्पकालीन विनियोग (फिक्स्ड/सावधि जमा)	1062.02	1216.88
आरक्षित ऋण (नकद साख)	0.00	0.00
नकद एवं नकद पर्याय	1105.43	1256.13
विनिमय दर भिन्नता का प्रभाव	0.00	0.00
नकद एवं नकद पर्याय जैसा कि ऊपर वर्णित है	1105.43	1256.13
(कोष्ठक में दिये गये आंकड़े नकारात्मक आंकड़े प्रस्तुत करते हैं)		
2. रोकड़ प्रवाह विवरण को बनाने में उपयोग की गयी विधि लोखांकन मानक 3 में वर्णित अप्रत्यक्ष विधि है।		

जुड़ी हुयी टिप्पणियाँ 1 से 29 वित्तीय विवरण का अंगभूत अंग हैं।

हमारे सम दिनांक के प्रतिवेदन के संदर्भित हैं।

कृते नागेंद्र गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार



(पंकज दुबे)

साझीदार

(सदस्य सं0 077578)

UDIN : 25077578BMNYGN1438



(इन्द्रसेन सिंह)

मुख्य वित्त अधिकारी

तथा कम्पनी सचिव



(के.एन. रमेश)

निदेशक

DIN : 10795955



(के. सदाशिव मूर्ति)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

DIN : 09184201

स्थान : प्रयागराज

दिनांक : 05.05.2025

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

(1) अंश पूँजी

अधिकृत पूँजी

₹ 1000 के प्रत्येक अंश के रूप में 6,50,000 साम्य अंश (विगत वर्ष ₹ 1000/- मूल्य के प्रत्येक अंश के रूप के प्रत्येक अंश के रूप में ₹ 6,50,000 साम्य अंश)

निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी :

1000 मूल्य के प्रत्येक अंश के रूप में पूर्ण रूपेण अदा किये गये 535310 साम्य अंश (विगत वर्ष ₹ 1,000 मूल्य के प्रत्येक अंश के रूप में कुल 535310 साम्य अंश)

उपरोक्त में से 1588 साम्य अंश भारत सरकार द्वारा कम्पनी पर स्थापना से पूर्व किये गये व्यय के लिए आवंटित किये गये हैं। उपरोक्त में ₹ 1000 के प्रत्येक के रूप में पूर्ण रूपेण अदा किये गये 535309 साम्य अंश माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार द्वारा नामित के पास है। (विगत वर्ष के 535309 साम्य अंश माननीय राष्ट्रपति, भारत सरकार द्वारा नामित के पास थे।) कम्पनी के पास 1000 रुपये के सममूल्य के समता अंश के एक ही श्रेणी के अंश है। इन अंशों का स्तर मतदान एवं लाभांश भुगतान में प्रथम वरीयता का माना जाता है भारत के राष्ट्रपति ही एक मात्र अंशधारी है। जिनके पास कुल अंशों के 5% से ज्यादा अंश हैं।

जैसा कि
31.03.2025 को था

6500.00

5353.10

5353.10

जैसा कि
31.03.2024 को था

6500.00

5353.10

5353.10

(2) आरक्षित एवं अधिशेष :

आरक्षित पूँजी

वर्ष के प्रारम्भ में :

वर्ष के अन्त में

लाभ-हानि के विवरण में अधिशेष :

वर्ष के प्रारम्भ में

जोड़े : वर्ष के लिए लाभ

वर्ष के अन्त में

योग :

जैसा कि
31.03.2025 को था

29065.16

29065.16

(49481.00)

(257.47)

(49738.47)

(20673.31)

जैसा कि
31.03.2024 को था

29065.16

29065.16

(44817.04)

(4663.96)

(49481.00)

(20415.84)

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

(3) दीर्घ कालिक ऋण :

सम्बन्धित पक्ष से ऋण तथा अग्रिम सुरक्षित

भारत सरकार से ऋण (असुरक्षित)
योग:

जैसा कि
31.03.2025 को था

0.00

0.00

0.00

जैसा कि
31.03.2024 को था

0.00

0.00

0.00

टिप्पणी :

- (1) भारत सरकार से गैर योजनागत ऋण रु. 11159.00 लाख 2015-16 में प्राप्त हुआ था जो कि 5 किस्तों में देय था। तदनुसार सभी किस्तें देय हो चुकी हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं हुआ है। लेखांकन नियम के तहत उन्हें अल्पकालीन देयताओं में शामिल कर लिया गया है।
- (2) दीर्घ कालिक ऋणों का परिपक्वता सारणी का संक्षेप निम्न है :

ऋणों का भुगतान

प्रथम वर्ष में (टिप्पणी संख्या-7)

दीर्घ कालिक ऋण का चालू परिपक्वता

द्वितीय वर्ष में

तीसरे से पाँचवें वर्ष में

पाँच वर्ष पश्चात

दीर्घ कालिक ऋण

2024-25

भारत सरकार
से ऋण

11159.00

11159.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2023-24

भारत सरकार
से ऋण

11159.00

11159.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(4) अन्य दीर्घ कालिक दायितार्यें :

अन्य डिपॉजिट
योग:

जैसा कि
31.03.2025 को था

0.00

0.00

जैसा कि
31.03.2024 को था

0.00

0.00

(5) दीर्घ कालिक प्रावधान :

कर्मचारियों के लाभ हेतु प्रावधान

उपदान हेतु प्रावधान

अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान

योग:

जैसा कि
31.03.2025 को था

0.00

0.00

0.00

जैसा कि
31.03.2024 को था

0.00

0.00

0.00

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

(6) अल्प कालिक ऋण :

सुरक्षित
बैंकों से ऋण

अन्य ऋण (असुरक्षित)

योग :

जैसा कि
31.03.2025 को था

0.00

0.00

0.00

जैसा कि
31.03.2024 को था

0.00

0.00

0.00

(7) अन्य चालू दायितारें :

दीर्घ कालिक ऋण की चालू परिपक्वता
(टिप्पणी सं0 3)

ऋण पर उपार्जित ब्याज

ऋण पर अनुपार्जित ब्याज

विभिन्न जमा

सांविधिक दायितारें

अन्य

योग :

जैसा कि
31.03.2025 को था

11159.00

5270.42

0.00

0.00

0.00

0.00

3.80

16433.22

जैसा कि
31.03.2024 को था

11159.00

5270.42

0.00

0.00

0.52

32.04

16461.98

(8) अल्प कालिक प्रावधान :

दीर्घ कालिक कर्मचारी लाभ का चालू भाग

उपदान हेतु प्रावधान

अवकाश नकदीकरण हेतु प्रावधान

योग :

जैसा कि
31.03.2025 को था

0.00

0.00

0.00

जैसा कि
31.03.2024 को था

0.00

0.00

0.00

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(9) स्थायी परिसम्पत्तियाँ

(₹ लाख में)

विवरण	सकल खंड			मूल्य ह्रास तथा संक्रामण			शुद्ध खंड	
	जैसा कि 31.03.2024 को था	संयोजन	वापसी एवं समायोजन	जैसा कि 31.03.2025 को था	31.03.2024 तक	वर्ष के लिये समायोजन पर	31.03.2025 तक	जैसा कि 31.03.2025 को था
वास्तविक सम्पत्तियाँ								
भवन	16.24	0.00	16.24	0.00	10.23	5.80	16.24	6.01
योग	16.24	0.00	16.24	0.00	10.23	5.80	16.24	6.01
विवत वर्ष	16.24	0.00	0.00	16.24	9.95	0.00	10.23	6.29
अमूर्त सम्पत्तियाँ :								
कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
विवत वर्ष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महायोग :	16.24	0.00	16.24	0.00	10.23	5.80	16.24	6.01
विवत वर्ष	16.24	0.00	0.00	16.24	9.95	0.00	10.23	6.29

टिप्पणियाँ :

(1) लाभ और हानि लेखा विवरण में लगाये गये अवमूल्यन एवं शेष का ब्यौरा :

- (अ) वास्तविक परिसम्पत्ति पर लगाया गया अवमूल्यन जैसा कि ऊपर लिखित है
 (ब) अमूर्त परिसम्पत्ति पर लगाया गया अवमूल्यन जैसा कि ऊपर लिखित है
 * (स) फुटकर परिसम्पत्ति पर लगाया गया अवमूल्यन
 (द) खुले औजारों पर लगाया गया अवमूल्यन

योग :

(₹ लाख में)

2024-25	2023-24
0.21	0.28
0.00	0.00
0.00	0.00
0.00	0.00
<u>0.21</u>	<u>0.28</u>

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

(10) गैर चालू निवेश :

क्रिसेन्ट कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड,
मुम्बई में ₹ 50/- प्रति के पूर्ण प्रदत्त पाँच अंश
लागत मूल्य पर (अनुदत्त)

योग :

जैसा कि
31.03.2025 को था

0.00

0.00

जैसा कि
31.03.2024 को था

0.00

0.00

टिप्पणी : कुल ₹ 250/- मूल्य के निवेश (विगत वर्ष
₹ 250/-) यह व्यय लाख रुपये से कम होने के कारण
यहाँ 0.00 के रूप में प्रदर्शित किया गया है।

(11) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (शुद्ध) :

आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ:

कर्मचारी लाभ हेतु प्रावधान

उपदान

अवकाश नकदीकरण

भविष्य निधि में नियोक्ता का अंशदान

भविष्य निधि में कर्मचारियों का अंशदान

जैसा कि
31.03.2025 को था

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

जैसा कि
31.03.2024 को था

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

आस्थगित कर दायितार्ये :

स्थायी परिसम्पत्तियों पर राजकीय कर भत्ता

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

योग (शुद्ध) :

नोट :- चूँकि कर योग्य आय की कोई सम्भावना नहीं है तथा कम्पनी बंद हो गयी है। और सभी अचल सम्पत्तियाँ 2022-23 में बेची जा चुकी है। स्थगित कर सम्पत्तियों एवं दायित्वों के गणना की कोई आवश्यकता नहीं है। तदनुसार AS-22 के अनुरूप स्थगित कर सम्पत्तियों का प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

(12) दीर्घ कालिक ऋण एवं :

पूँजीगत अग्रिम

असुरक्षित अच्छे समझे गये

धरोहर (डिपॉजिट)

असुरक्षित अच्छे समझे गये

अन्य ऋण एवं अग्रिम

असुरक्षित अच्छे समझे गये

जैसा कि
31.03.2025 को था

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

जैसा कि
31.03.2024 को था

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

योग :

(13) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ :

धरोहर (डिपॉजिट) पर उपार्जित ब्याज

योग :

जैसा कि
31.03.2025 को था

0.00

0.00

जैसा कि
31.03.2024 को था

0.00

0.00

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

(14) माल सूची :

(जैसा कि प्रबन्धन द्वारा इसे मूल्यांकित और प्रमाणित करके प्रस्तुत किया है)

कच्चा माल (लागत मूल्य पर)

अर्धनिर्मित कार्य (लागत मूल्य या प्राप्य मूल्य जो कम हो)

पम्पस एवं कम्प्रेसर्स

गैस सिलेण्डर्स

तैयार माल (निर्मित) :

(लागत मूल्य या प्राप्य मूल्य जो कम हो)

पम्पस एवं कम्प्रेसर्स

गैस सिलेण्डर

भण्डार तथा अतिरिक्त कल पुर्जे (लागत मूल्य पर)

खुले औजार (लागत मूल्यपर मूल्य ह्रास घटाने के बाद)

अवशिष्ट सामग्री (अनुमानित प्राप्त मूल्य पर)

योग :

पारगमन में निम्नलिखित सामान उपरोक्त में सम्मिलित है :

कच्चा माल

भण्डार तथा अतिरिक्त कल पुर्जे

योग :

जैसा कि
31.03.2025 को था

जैसा कि
31.03.2024 को था

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(15) व्यवसायिक प्राप्तियाँ :

बकाया जो भुगतान की तिथि से 6 महीने की

अवधि से अधिक बाकी हो (असुरक्षित, अच्छे समझे गये)

अन्य (असुरक्षित, अच्छे समझे गये)

अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों हेतु प्रावधान

योग :

जैसा कि
31.03.2025 को था

जैसा कि
31.03.2024 को था

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

(16) नगद एवं नगद तुल्य :

बैंकों में जमा अवशेष

चालू/(स्टेट बैंक) खाता

नगद/डाक टिकटों के रूप में अवशेष

अन्य : बैंक में सावधि जमा राशि

योग :

जैसा कि
31.03.2025 को था

जैसा कि
31.03.2024 को था

43.41

39.25

0.00

0.00

1062.02

1216.88

1105.43

1256.13

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

(17) अल्प कालिक ऋण एवं अग्रिम :

अन्य (असुरक्षित, अच्छे समझे गये)	
कर्मचारियों को अग्रिम	0.00
क्रय हेतु अग्रिम	0.00
स्थायी परिसम्पत्तियों के क्रय हेतु अग्रिम	0.00
अन्य अग्रिम	0.00
अग्रिम कर (समायोजन के बाद)	7.58
अन्य जमा	0.00
योग :	7.58

जैसा कि
31.03.2025 को था

जैसा कि
31.03.2024 को था

(18) प्रचालन से राजस्व :

सकल राजस्व :

निर्मित सामानों के बिक्री से	0.00
सेवाओं की बिक्री से	0.00
	0.00
घटाये: उत्पाद शुल्क जी.एस.टी. एवं सेवा कर	0.00
निर्मित सामानों एवं सेवाओं की बिक्री से शुद्ध राजस्व	0.00

अन्य प्रचालन राजस्व :

रद्दी के बिक्री से (सकल)	0.00
घटाये : उत्पाद कर/जी.एस.टी.	0.00
रद्दी की बिक्री (शुद्ध)	0.00
रद्दी भण्डार बढ़त/घटत	0.00

योग :

समाप्ति वर्ष 31 मार्च
2025 के लिए

समाप्ति वर्ष 31 मार्च
2024 के लिए

(19) अन्य आय :

ब्याज से आय	75.75
अन्य गैर प्रचालन आय :	
दायिताएं अपलिखित	0.81
विविध आय	35.29
योग :	111.85
ब्याज आय के अन्तर्गत ब्याज :	
बैंक जमा से	75.75
अन्य	0.00

समाप्ति वर्ष 31 मार्च
2025 के लिए

समाप्ति वर्ष 31 मार्च
2024 के लिए

	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2025 के लिए	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए
(20) उपभोग किये गये सामानों का मूल्य :		
कच्चे माल का उपभोग	0.00	0.00
भण्डार एवं अतिरिक्त कलपुर्जों का उपयोग	0.00	0.00
योग :	0.00	0.00

	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2025 के लिए		समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	
(21) निर्मित तथा अर्धनिर्मित माल की सूचियों में बदलाव :				
उत्पादित तैयार माल (पी.सी.)				
प्रारम्भिक शेष भण्डार	0.00		0.00	
अन्तिम शेष भण्डार	0.00	0.00	0.00	0.00
उत्पादित तैयार माल (जी.सी.)				
प्रारम्भिक शेष भण्डार	0.00		0.00	
अन्तिम शेष भण्डार	0.00	0.00	0.00	0.00
अर्धनिर्मित कार्य (पी.सी.)				
प्रारम्भिक शेष भण्डार	0.00		282.36	
अन्तिम शेष भण्डार	0.00	0.00	0.00	282.36
अर्धनिर्मित कार्य (जी.सी.)				
प्रारम्भिक शेष भण्डार	0.00		0.00	
अन्तिम शेष भण्डार	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00		282.36
निर्मित माल पर उत्पाद कर / जी.एस.टी. / बढ़त / घटत		0.00		0.00
योग :	0.00		282.36	

	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2025 के लिए		समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	
(22) कर्मचारी लाभ व्यय :				
1. कर्मचारियों का पारिश्रमिक :				
(i) वेतन, मजदूरी एवं भत्ता	0.00		0.00	
(ii) निधियों को योगदान : (भविष्य निधि एवं कर्मचारी राज्य बीमा)	0.00	0.00	0.00	0.00
2. कर्मचारियों का कल्याण :				
(I) कर्मचारी कल्याण व्यय	0.00		0.00	
(ii) चिकित्सा प्रतिपूर्ति व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00
3. सामाजिक उपरिव्यय :				
(i) जलपान गृह व्यय (शुद्ध)	0.00		0.00	
(ii) छूट प्राप्त यातायात (शुद्ध)	0.00	0.00	0.00	0.00
4. सेवा निवृत्ति लाभ :				
(i) उपदान	0.00		0.00	
(ii) अवकाश नकदीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00
योग :		0.00		0.00

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

(23) अन्य व्यय :

	समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2025 के लिए		समाप्ति वर्ष 31 मार्च 2024 के लिए	
विद्युत	1.15		2.09	
ईंधन	0.00	1.15	0.00	2.09
मरम्मत एवं रख-रखाव :				
भवन	2.93		2.82	
संयंत्र एवं मशीनरी	0.00		0.00	
अन्य	0.00	2.93	0.17	2.99
किराया (शुद्ध)		3.72		7.12
दरों एवं करों का भुगतान		23.88		3.59
निदेशकों के खर्च		0.00		0.00
बीमा शुल्क		0.00		0.00
लेखा परीक्षकों का भुगतान :				
लेखा परीक्षा शुल्क	0.95		0.95	
अन्य सेवाओं के शुल्क	0.00	0.95	0.35	1.30
छपाई एवं लेखन सामग्री		0.32		0.26
डाक टिकट एवं दूरभाष सेवायें		0.10		0.18
यात्रा एवं वाहन व्यय : घरेलू	2.95		2.45	
- विदेशी	0.00	2.95	0.00	2.45
बैंक प्रभार		0.01		0.06
प्रशिक्षण व्यय		0.00		0.00
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल पर व्यय		0.00		0.00
विविध देनदार के अलावा बट्टा खाता		0.00		0.00
अन्य प्रशासनिक व्यय		50.05		65.06
मनोरंजन व्यय		0.00		0.00
एम.एस.टी.सी. को ई. निलामी कमीशन		0.00		0.00
योग :		86.06		85.10

(24) पूर्ववर्ती खर्च/असाधारण मद :

पूर्ववर्ती खर्च - ब्याज	0.00	0.00
योग :	0.00	0.00

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

2.5. अतिरिक्त विनियामक सूचना :

1. कंपनी के पास ऐसी कोई अचल संपत्ति नहीं है जिसका शीर्षक विलेख कंपनी के नाम पर न हो।
2. वर्ष के दौरान, कंपनी ने किसी चल संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है। विगत वर्षों में सभी चल संपत्तियां एमएसटीसी के ई-पोर्टल पर नीलामी के माध्यम से बेच दी गई हैं, क्योंकि कंपनी पहले से ही भारत सरकार के निर्णय के अनुपालन में बंद होने की प्रक्रिया में है।
3. कंपनी ने प्रमोटरों, निदेशकों, के. एम. पी. और संबंधित पक्षों (कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को अलग से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। भारत सरकार के आदेश पर कंपनी पहले ही बंद हो चुकी है।
4. पूंजी-कार्य-प्रगति (सी.डब्ल्यू.आई.पी.) 31.03.2025 को शून्य है।
5. विकासाधीन अमूर्त संपत्ति 31.03.2025 तक शून्य है।
6. कंपनी के पास कोई बेनामी संपत्ति नहीं है। तदनुसार, बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ न तो कोई कार्यवाही शुरू की गई है और न ही लंबित है।
7. कंपनी ने 31.03.2025 तक मौजूदा परिसंपत्तियों के बंधक के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से कोई उधार नहीं लिया है। भारत सरकार के आदेश पर कंपनी पहले ही बंद हो चुकी है।
8. कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
9. कंपनी का कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेन-देन नहीं किया है और ऐसी कंपनियों के साथ कोई संबंध भी नहीं है।
10. रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (आर.ओ.सी.) के पास भारो की संतुष्टि का कोई भी पंजीकरण वैधानिक अवधि से परे लंबित नहीं है।
11. कंपनी के पास कंपनियों की कोई परत (लेयर्स) नहीं है और तदनुसार कंपनी (परतों की संख्या पर प्रतिबंध) नियम, 2017 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 2 के खंड (87) के तहत निर्धारित परतों की संख्या का अनुपालन न करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।
12. अनुपात की गणना के संबंध में (ए) चालू अनुपात, (बी) ऋण-इक्विटी अनुपात, (सी) ऋण सेवा कवरेज अनुपात, (डी) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न, (ई) इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात, (एफ) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात, (जी) व्यापार देय टर्नओवर अनुपात, (एच) शुद्ध पूंजी टर्नओवर अनुपात, (I) शुद्ध लाभ अनुपात, (जे) नियोजित पूंजी पर रिटर्न, (के) निवेश पर रिटर्न) यह उल्लेख किया गया है कि कंपनी का संचालन वर्ष 2021-22 के दौरान पहले ही बंद हो चुका है और सभी चल एवं अचल संपत्तियों की शेष राशि 31.03.2025 तक शून्य है अतः गणना के परिणाम या तो असामान्य होंगे या अनुपलब्धता के कारण गणना करना संभव नहीं होगा। गणना के लिए संगत आंकड़ों के अभाव के कारण तदनुसार कोई गणना नहीं की गई है।
13. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 237 के संदर्भ में व्यवस्था की कोई अनुमोदित योजना नहीं है, इसलिए किसी भी प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है।
14. कंपनी को वर्ष 2024-25 के दौरान कोई उधार ली गई धनराशि और शेयर प्रीमियम प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार उपयोग विवरण प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

2.6. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

1.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

यह वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार लेखांकन सिद्धान्तों तथा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 133 के साथ नियम 7 में वर्णित 2014 में लागू किये गये लेखा मानकों के अनुरूप बनाया गया है। साथ ही साथ इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट ऑफ इंडिया द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों को जहाँ सम्भव हो अनवरत रूप से अपनाया गया है।

1.2 अनुमान का उपयोग

वित्तीय विवरण बनाते समय, स्वीकार करने योग्य लेखांकन नीतियों तथा प्रचलित अनुमानों एवं मान्यताओं तथा लेखांकन मानकों को ध्यान में रखा जाता है जिससे सम्बन्धित काल के दौरान कुल आय एवं व्यय की धनराशि सम्पत्ति एवं दायित्वों तथा संदिग्ध दायित्वों का वित्तीय विवरण के तिथि पर स्पष्ट आकलन हो सकें। अनुमानित आकलन एवं वास्तविक निष्पादन के अन्तर यदि कोई होते हैं तो उनको उसी वर्ष में मान लिया जाता है जिसमें वह परिपक्व होता है।

2.0 स्थायी परिसम्पत्तियाँ

- 2.1 उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कम्पनी को उपलब्ध करायी गई भूमि का मूल्यांकन तत्कालीन भूमि-अधिग्रहण अधिकारी, इलाहाबाद कार्यालय के अभिलिखित प्रारम्भिक मूल्यों के अनुसार किया गया है। इस धनराशि को कम्पनी की आरक्षित पूंजी लेखा में यथावत दर्शाया गया है।
- 2.2 कम्पनी की स्थायी परिसम्पत्तियों को लागत व्यय पर मूल्यांकित किया जाता है, जिसमें उनके निर्माण अवधि के अन्तर्गत व्यय को आवंटन की तिथि से ही इस लेखा में शामिल माना जाता है।
- 2.3 अन्तर-परियोजना स्थानान्तरण द्वारा प्राप्त पूंजीगत सामानों का मूल्यांकन कारखाने में उनकी लागत व्यय पर किया जाता है, जिसमें उनका उत्पादन शुल्क भी सम्मिलित रहता है।
- 2.4 यदि परिसम्पत्तियों का उपयोग शुरू किया जाता है तथा सम्बन्धित ठेकेदार के बिलों का निस्तारण होना रहता है तो ऐसी दशा में पूंजीकरण सर्जित कर दिया जाता है कि आवश्यक समायोजन निस्तारण वर्ष में कर दिया जायेगा।
- 2.5 निर्धारित परिसम्पत्तियों की लागत व्यय की नियमित पूंजी के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली समस्त अनुदान राशि एवं सेनवैट/आई.टी.सी. क्रेडिट से तत्संबन्धित परिसम्पत्तियों के कुल लागत व्यय से घटाया जाता है।
- 2.6 बाद में किये गये खर्च सम्पत्तियों के मूल्य में तभी जोड़े जाते हैं जब सम्पत्ति के जीवन काल में पूर्व अनुमाति आयु से ज्यादा वृद्धि होती है।

- 2.7 जो सम्पत्तियाँ उपयोग के लिए तैयार नहीं हो पाती हैं उनको प्रगतिशील पूंजीगत के तौर पर रखा जाता है।

3.0 अवमूल्यन :

- 3.1 कम्पनी के स्थायी सम्पत्तियों पर ह्रास एस.एल.एम. आधार एवं सम्पत्ति के जीवनकाल के आधार पर कम्पनी अधिनियम 2013 के अनुसूची -II में वर्णित दरों के अनुसार किया जाता है। लेकिन यदि किसी सम्पत्ति के ऐतिहासिक मूल्यों में परिवर्तन होता है तो ह्रास पुननिर्धारित अवशेष मूल्य पर उसके बड़े हुए/बचे हुए/अवशिष्ट जीवन काल के आधार पर किया जाता है।
- 3.2 वर्ष के दौरान अभिवृद्धि/विक्रय की गयी परिसम्पत्तियों पर ह्रास प्रो-राटा आधार पर उनके अभिवृद्धि/विक्रय की तिथि से किया जाता है।
- 3.3 ₹ 5000 से कम मूल्य की सभी परिसम्पत्तियों को क्रय किये जाने वाले वर्ष में राजस्व खर्च के रूप में अपलिखित कर दिया जाता है।

4.0 विदेशी मुद्रा

- 4.1 सौदों जिनका ब्यौरा विदेशी मुद्रा में होता है उनका लेखांकन प्रचलित विनिमय दर के आधार पर होता है।
- 4.2 वर्ष के अन्त में रिपोर्टिंग तिथि पर सभी पर मौद्रिक सौदा का ब्यौरा विनिमय दर द्वारा प्रवर्तित करके दिखाया जाता है।
- 4.3 विदेश से मँगायी गयी परिसम्पत्तियों से सम्बन्धित विदेशी विनिमय के अन्तर को सम्पत्ति के निहित लागत में/सम्पत्ति प्रगति पर होने के पूर्व समायोजित कर दिया जाता है। अन्य विनिमय दरों के अन्तरों को पहचाने गये वर्ष के आय या व्यय के रूप में मान्य किया जाता है।

5.0 सम्पत्ति की हानियाँ

किसी सम्पत्ति की हानि तब कहा जाता है जब सम्पत्ति का निहित मूल्य वास्तविक प्राप्य मूल्य से कम होता है। इस तरह की हानि को लाभ हानि खाते में उसी वर्ष लिख लिया जाता है जिस वर्ष यह कमी ज्ञात होती है। पिछले वर्षों में लेखांकन की गयी हानियों को वापस लाया जा सकता है यदि सम्पत्ति के प्राप्य मूल्य में बढ़ोत्तरी का अनुमान आगे के वर्षों में हो जाय।

6.0 सामग्रियों का मूल्यांकन :

- 6.1 कच्ची सामग्री, भण्डारों तथा अतिरिक्त कलपुर्जों का मूल्यांकन समय-समय पर उनकी आवधिक माप तौल की भारित औसत लागत विधि से किया जाता है।
- 6.2 प्रेषण एवं आवक में निरीक्षण के अन्तर्गत कच्चे माल एवं कलपुर्जों और निर्माताओं एवं ठेकेदारों के पास पड़े सामानों का मूल्यांकन लागत आधार पर किया जाता है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

- 6.3 कम्पनी द्वारा कम से कम ₹ 500 (पाँच सौ रुपये) मूल्य तक के या उससे अधिक मूल्य के खुले औजारों का अवमूल्यन 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से किया जाता है और पाँच सौ रुपये तक की औजारों के अवमूल्यन को सीधे राजस्व में अपलिखित किया जाता है।
- 6.4 कम्पनी द्वारा निर्मित सामानों के अर्धनिर्मित माल का मूल्यांकन उनके समाहित लागत या उगाही मूल्य में, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। पूँजी कार्य हेतु आन्तरिक रूप में तैयार किये गये सामानों और माल को कारखाने के लागत व्यय पर मूल्यांकित किया जाता है।
- 6.5 उत्पादित तैयार सामानों का मूल्यांकन यहां समाहित लागत या उगाही मूल्य में, जो भी कम हो, के आधार पर किया जाता है। तैयार सामानों का उत्पादन स्टॉक में प्राप्त आदेशों के आधार पर किया जाता है, उनका मूल्यांकन भी समाहित लागत के आधार पर किया जाता है। तैयार सामानों के मूल्यांकन में उत्पाद शुल्क भी शामिल है।
- 6.6 रद्दी सामग्री का मूल्यांकन उनके अनुमानित प्राप्य योग्य मूल्य के आधार पर किया जाता है।
- 6.7 चिन्हित बेकार/अतिरिक्त/स्थिर सामग्री के लिए आवश्यक प्रावधान, तकनीकी निर्धारणों के आधार पर किया जाता है ताकि उनकी वर्तमान स्थिति प्रदर्शित हो।

7.0 आय की मान्यता

आय की मान्यता तब की जाती है जब स्वामित्व से सम्बन्धित जोखिम एवं पुरस्कार का हस्तान्तरण हो जाता है। परिचालन से आय में माल एवं सेवाओं का विक्रय, उत्पाद कर, सेवाकर एवं जी.एस.टी. शामिल रहता है। ब्याज के आय की मान्यता समय के अनुपात में तथा प्रचलित दर के आधार पर, अदेय राशि पर गणना करके की जाती है।

8.0 दावे :

8.1 कम्पनी द्वारा :

विक्रय निविदाओं, निर्यात प्रोत्साहनों तथा विविध अन्य प्रकार के प्रोत्साहनों इत्यादि के मूल्य वृद्धि के दावों के निपटानों को कम्पनी द्वारा प्राप्त व्ययता के आधार पर सुनिश्चित किया जाता है, किन्तु आपूर्ति-कर्ताओं द्वारा कम्पनी को मिश्रित क्षति के दावे के रूप में अथवा अर्थदण्ड स्वरूप प्राप्त होने वाली सम्पूर्ण धनराशियों को उनके प्राप्त होने वाले वर्ष की आय माना जाता है।

8.2 कम्पनी के विरुद्ध दावे :

8.2.1 उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क एवं आयकर, विक्रय कर इत्यादि से सम्बन्धित लम्बित मसलों के अन्तिम लेखा को उनके किये गये निर्धारण अभिनिश्चय/देनदारी के वर्षों में प्रावधान किया गया।

8.2.2 कम्पनी द्वारा आकस्मिक दायिताओं को लाभ-हानि लेखा विवरण में उनके आंकलन और देय भुगतान वर्षों के अनुसार मूल्यांकित किया जाता है।

9.0 शोध एवं विकास व्यय :

शोध एवं विकास व्यय को लाभ-हानि लेखा विवरण में होने वाले वास्तविक वर्ष के अन्तर्गत ही चार्ज किया जाता है यद्यपि शोध एवं विकास के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों पर किये गये व्यय को अन्य स्थायी सम्पत्तियों के व्ययों के समान ही माना जाता है।

10.0 विदेशी विनिमय :

विदेशी मुद्रा में ऋण या आस्थगित भुगतानों का दायित्व विनिमय की उसी दर पर आधारित होता है जो इस दायित्व के प्रस्तुत करने वाले वर्ष की अन्तिम तिथि को प्रभावी होती है। परिणाम स्वरूप किसी भी लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखा में चार्ज कर लिया जाता है।

11.0 प्रावधान :

11.1 सेवोपहार :

सेवोपहार की धनराशि को नियमानुसार वास्तविक मूल्यांकन के अनुकूल प्राविधानित किया जाता है तथा वर्ष के अन्त में लेखा में उसे मूल्यांकन के आधार पर समाहित किया जाता है।

11.2 अवकाश नकदीकरण :

अवकाश नकदीकरण की धनराशि को नियमानुसार वास्तविक मूल्यांकन के अनुकूल प्राविधानित किया जाता है तथा वर्ष के अन्त में विमाकिक के मूल्यांकन के आधार पर समाहित किया जाता है।

12.0 आय पर कर :

12.1 आयकर का निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

12.2 दूरदर्शिता को ध्यान में रखने की शर्त पर, समयान्तर होने से, कर योग्य आय एवं लेखाकरण आय के मध्य अन्तर होने से जो कि एक अवधि में प्रारम्भ होती है एवं एक निश्चित अवधि से ज्यादा परिवर्ती अवधि में विपरीत हो सकती है, स्थागित कर मान्य है।

13.0 सरकारी अनुदान :

सरकारी अनुदान का लेखांकन तभी किया जाता है जब उन्हें प्राप्त होने की निश्चितता हो। स्थायी सम्पत्तियों के विरुद्ध प्राप्त अनुदान का निस्तारण लेखांकन नीति सं. 2.5 के आधार पर किया जाता है। व्ययों/हानियों की प्रतिपूर्ति के अतिरिक्त, आयगत अनुदानों की प्राप्ति की लागत एवं आय के सिद्धान्त से सम्बन्धित अवधि के अनुरूप आय माना जाता है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

27. सम्बन्धित पार्टियों की जानकारीयें :

लेखांकन मानक 18 में वर्णित सम्बन्धित पार्टियों की जानकारी के अनुपालन में उनके साथ सम्बन्धित कार्य का ब्योरा निम्नलिखित है :

(अ) मेसर्स भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बी0एच0ई0एल0) :

मेसर्स बी0एच0ई0एल0 ने सरकार के निर्णय के अनुरूप प्रबन्धकीय सहयोग, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को प्रदान करते हुए किया है। इसके अतिरिक्त बी0एच0ई0एल0 ने बी0पी0सी0 बोर्ड को एक अंशकालिक निदेशक भी प्रदान किया है।

(ब) मेसर्स ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ0एन0जी0सी0) :

मेसर्स ओ0एन0जी0सी0 ने बी0पी0सी0एल0 बोर्ड को एक अंशकालिक निदेशक प्रदान किया है।

(स) मेसर्स इन्जिनियर्स इण्डिया लिमिटेड (ई0आई0एल0) :

मेसर्स इन्जिनियर्स इण्डिया लिमिटेड ने बी0पी0सी0एल0 बोर्ड को एक अंशकालिक निदेशक प्रदान किया है।

साथी सहायक/सहयोगी कम्पनियां :

कम्पनी ने अपनी सहायक/सहयोगी कम्पनियों के साथ निम्नलिखित लेन-देन किया है :

(₹ लाख में)

	2024-25			2023-24		
	बी.एच.ई.एल.ओ.एन.जी.सी. ई.आई.एल			बी.एच.ई.एल.ओ.एन.जी.सी. ई.आई.एल		
अ. खरीदा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ब. बेचा गया	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
स. राशि वसूली होनी है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
द. राशि अदा करना है	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
य. लिया गया ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
र. अदा किया गया ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ल. बकाया ऋण एवं ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Notes to the financial statements

28. खण्डवार सूचनायें :

प्राथमिक खण्ड - व्यावसायिक खण्ड

(₹ लाख में)

	31.03.2025 को समाप्त हुए वर्ष के लिए				31.03.2024 समाप्त हुए वर्ष के लिए			
	पम्पस्	कम्प्रेसर्स	गैस	योग	पम्पस्	कम्प्रेसर्स	गैस	योग
अ. खण्ड राजस्व								
(i) खण्ड राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अन्तरभागीय राजस्व	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii) बाहरी राजस्व परिचालन (i-ii)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ब. खण्डवार परिणाम								
(i) खण्डवार परिणाम	0.00	0.00	0.00	101.33	0.00	0.00	0.00	(15.00)
(ii) अनिर्धारित व्यय (शुद्ध)	0.00	0.00	0.00	(75.75)	0.00	0.00	0.00	(1311.73)
(iii) कर पूर्व लाभ	0.00	0.00	0.00	25.58	0.00	0.00	0.00	(1326.73)
(iv) आयकर/एफ.बी.टी./एम.ए.टी./अस्थगित कर	0.00	0.00	0.00	(283.05)	0.00	0.00	0.00	(3337.23)
(v) कर पश्चात लाभ	0.00	0.00	0.00	(257.47)	0.00	0.00	0.00	(4663.96)
स. सम्पत्ति एवं दायित्सव								
(i) खण्ड सम्पत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अनिर्धारित सम्पत्तियाँ	0.00	0.00	0.00	1113.01	0.00	0.00	0.00	1399.24
(iii) कुल सम्पत्ति	0.00	0.00	0.00	1113.01	0.00	0.00	0.00	1399.24
(iv) खण्डवार दायित्वायें	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(v) अनिर्धारित दायित्वायें	0.00	0.00	0.00	1113.01	0.00	0.00	0.00	1399.24
(vi) कुल दायित्वायें	0.00	0.00	0.00	1113.01	0.00	0.00	0.00	1399.24
द. अन्य सूचनायें								
(i) अचल सम्पत्ति अर्जित होने के समय किया गया खर्च (पूँजी कार्य प्रगति सहित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) अवमूल्यन	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.28
(iii) नकद रहित खर्च (अवमूल्यन के अलावा)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

2.9. वित्तीय विवरण के लिए अतिरिक्त टिप्पणियाँ:

(i) वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार :

वित्तीय वर्ष 2019-20 तक, वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर चलायमान अवधारणा को लागू करते हुए और भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जी ए पी पी) के अनुसार तैयार किए गए थे, जिसमें कंपनियों के नियम 7 के साथ पठित धारा 133 के (लेखा) नियम, 2014, और कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्य प्रासंगिक प्रावधान के तहत अधिसूचित लेखांकन मानक भी शामिल थे। इसके अलावा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट्स/घोषणाओं, जहां भी लागू हो, पर भी विचार किया गया, जैसा कि कंपनी द्वारा लगातार अपनाया गया था लेकिन वर्ष 2020-21 के बाद से, वित्तीय विवरण चलायमान अवधारणा को लागू करने में कुछ विचलन के साथ तैयार किया जा रहा है क्योंकि भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 17.12.2020 के पत्र के माध्यम से कंपनी के संचालन को बंद करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की सूचना दी थी।

(ii) भारत सरकार के निर्णय के आलोक में जो कि दिनांक 17.12.2020 के तहत कंपनी को बंद करने के संबंध में था, निम्नलिखित अनुमोदित बिंदुओं पर आवश्यक लेखांकन/प्रकटीकरण/भुगतान किया है:-

- ए- कंपनी के प्लांट का संचालन बंद कर कंपनी को बंद कर दिया गया।
- बी- सभी बकाया देयों के भुगतान के बाद वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से बंद होने के कारण अधिशेष हुए कर्मचारियों को अलग करना।
- सी- चूंकि जमीन यूपी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई थी, यह प्रस्तावित है कि भवन एवं संयंत्र की स्थायी संरचना सहित भूमि उत्तर प्रदेश सरकार को बिना किसी मूल्य के सौंपी जायेगी।
- डी- भारत सरकार द्वारा 316.09 करोड़ रुपये का एकमुश्त अनुदान प्रदान करना। कंपनी को प्राप्त धन का उपयोग विशेष रूप से कर्मचारियों के लिए वीआरएस/वीएसएस के कार्यान्वयन, उनके बकाया वेतन और वैधानिक बकाया का भुगतान, पहले के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सभी बकाया सहित, 1997 के वेतन संशोधन बकाया, आपूर्तिकर्ताओं के बकाया का भुगतान सहित समापन संबंधी खर्चों के लिए किया जाएगा। ठेकेदार, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के कार्यशील पूंजी ऋण का पुनर्भुगतान, ब्याज सहित बीएचईएल ऋण का भुगतान, सीआईएसएफ, आयकर और बिक्री कर आदि से संबंधित लंबित अपील का भुगतान भी किया जाएगा।
- इ- भारत सरकार के ऋण और अर्जित ब्याज, बिक्री से कंपनी द्वारा चुकाई जाने वाली राशि को छोड़कर, बड़े खाते में डालना। भारत सरकार का ऋण और अर्जित ब्याज 31.03.2020 तक राशि ब्याज सहित 164.29 करोड़ रुपये (31.03.2020 तक ब्याज पर रोक के साथ) था। उपरोक्त ऋण कंपनी द्वारा सरकार को चुकाया जाएगा। ग्राहकों से प्राप्त राशि, कंपनी की अन्य परिसंपत्तियों की

बिक्री आय और कंपनी के बंद होने से संबंधित सभी देनदारियों को निपटाने के बाद यदि संपत्ति की बिक्री से प्राप्त बची आय ऋण राशि को पूरी तरह से चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो भुगतान ना की गयी शेष ऋण राशि को बड़े खाते में डाल दिया जाएगा।

एफ- कंपनी द्वारा संयंत्र/मशीनरी और चल संपत्तियों का निपटान एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से किया जाएगा। एमएसटीसी की नियुक्ति की शर्तें डीपीई/सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार होंगी।

अधिकांश बन्द करने के कार्य पूर्ण हो चुके हैं जिसमें चल संपत्तियों का विक्रय रिहायशी फ्लैट जो कि इलाहाबाद और मुम्बई में थे उनका हस्तान्तरण नेशनल लैण्ड मानीटाइजेशन कॉरपोरेशन को तथा स्थायी संरचना के साथ भूमि को यूपी सरकार को सौंपने की गतिविधियाँ शामिल हैं। वर्तमान में सभी चल और अचल संपत्तियों का मूल्य शून्य हो गया है।

(iii) उत्तर प्रदेश सरकार ने 300 एकड़ भूमि के वास्तविक आवंटन के मुकाबले 295.45 एकड़ भूमि निःशुल्क दी थी। 295.45 एकड़ भूमि के संबंध में हस्तांतरण विलेख निष्पादित नहीं किया गया था और मामला 2019-20 तक पत्राचार के अधीन था। हालाँकि, केंद्र सरकार द्वारा कंपनी को बंद करने के कारण, पत्र दिनांक 17.12.2020 द्वारा सूचित किया गया कि यह निर्णय लिया गया कि भवन और संयंत्र की स्थायी संरचना के साथ भूमि यूपी सरकार को बिना किसी मूल्य के सौंप दी जाएगी। तदनुसार, वर्ष 2022-23 के दौरान, कंपनी ने सभी चल संपत्तियों की बिक्री और उठान के बाद भारत पंप्स एंड कंप्रेसर्स लिमिटेड की भूमि और स्थायी संरचना यूपी सरकार को 28.02.2023 को (ज्ञापन संदर्भ संख्या 959/एसआईडीए/एसआर.एम. (सी)/सीडी-9/ प्रयागराज दिनांक 28.02.2023) सौंप दिया है।

(iv) भारत सरकार ने अपने पत्र दिनांक 17.12.2020 के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदत्त ऋण पर 31.03.2020 के बाद ब्याज लगाना रोक दिया है। तदनुसार, वर्ष 2024-25 के दौरान (रु. 2175.49 लाख) और पिछले वर्ष 2023-24 (रु. 2106.24 लाख) सरकारी ऋण पर कोई ब्याज प्रावधान नहीं किया गया है।

(v) चूंकि कंपनी के सभी कर्मचारियों को 12.06.2021 तक वीआरएस/वीएसएस के माध्यम से पहले ही मुक्त किया जा चुका है, इसलिए ग्रेच्युटी और छुट्टी नकदीकरण के खिलाफ कोई और प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे में बीमांकिक मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है।

(vi) 31.03.2025 को वर्तमान देनदारियों के उपशीर्षक 'अन्य' के अंतर्गत पड़े आंकड़ों रु 2.86 लाख एक विवादित सेवानिवृत्त कर्मचारी से संबंधित हैं, (पूर्व वर्ष 2023-24 में दो विवादित कर्मचारियों का कुल बकाया रु 20.74 लाख था।)

(vii) वर्ष के दौरान कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। कुल अनुदान राशि पिछले वर्ष तक प्राप्त 26077.00 लाख रुपये का वर्ष 2022-23 तक पूर्ण उपयोग किया गया है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

- (viii) वर्ष के दौरान 7 आवासीय फ्लैट जो कि मुम्बई में थे उनको नेशनल लैण्ड मानीटाइजेशन कॉरपोरेशन को किताबी मूल्य पर हस्तान्तरित कर दिया गया है। इस प्रकार सभी स्थायी सम्पत्तियों का मूल्य 31.03.2025 को शून्य हो गया है।
- (ix) कंपनी के पास सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ के लिए कोई योजना नहीं है।
- (x) पिछले वर्षों के दौरान, कंपनी की सभी चल संपत्तियां पहले ही बिक चुकी हैं, इसलिए AS28 - संपत्तियों की क्षति के अनुपालन में मूल्य के मूल्यांकन की कोई आवश्यकता नहीं है। तथा भूमि एवं स्थायी संरचना उ.प्र. सरकार को बिना मूल्य के हस्तान्तरित कर दिया गया है एवं आवासीय फ्लैट्स नेशनल लैण्ड मानीटाइजेशन कॉरपोरेशन को किताबी मूल्य पर दे दिया गया है। इस प्रकार सभी सम्पत्तियों का मूल्य शून्य हो गया है।
- (xi) 31 मार्च, 2025 तक सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देय 45 दिनों से अधिक के संबंध में कोई बकाया राशि नहीं है।
- (xii) कंपनी के संचालन को बंद करने और पिछले वर्षों में विविध देनदारों के संग्रह/समायोजन के कारण 31.03.2025 को व्यापार का प्राप्य शेष 0.00 लाख रुपये है (पिछले वर्ष की राशि 0.00 लाख रुपये)।
- (xiii) वर्ष के दौरान, कंपनी ने आयकर (आकलन वर्ष 2009-10) से सम्बन्धित ब्याज और जुर्माने की पुरानी विवादित माँग का भुगतान किया है, जो कि रु. 251.82 लाख है, इसके अलावा आकलन वर्ष 2023-24 की 31.23 लाख रुपये के रिफण्ड राशि का समायोजन भी किया गया है। एन.ओ.सी. जारी करने के हमारे जवाब में यह माँग अन्तिम बकाया के रूप में उठायी गयी थी। चूँकि आयकर के भुगतान को व्यय के रूप में मान्यता नहीं है, इसलिए इसे लाभ-हानि खाते में रेखा के नीचे दिखाया गया है। इसके अलावा आयकर विभाग ने फरवरी 2025 में एन.ओ.सी. अदेयता प्रमाण-पत्र भी जारी किया है।
- (xiv) वर्ष 2022-23 के दौरान, सभी इन्वेंट्री एमएसटीसी के माध्यम से अधिशेष / स्ट्रैप के रूप में बेची गई हैं और आवश्यक लेखांकन किया गया है। 31.03.2025 को इन्वेंट्री का मूल्य शून्य है। (विगत वर्ष भी शून्य थी)।
- (xv) कंपनी को बंद करने के निर्णय पर विचार करते हुए, सभी दीर्घकालिक देनदारियां और दीर्घकालिक परिसंपत्तियों को अल्पकालिक देनदारी और संपत्ति माना गया है।
- (xvi) पिछले वर्ष के आंकड़ों को जहां भी आवश्यक हो, उचित समझ हेतु चालू वर्ष के वर्गीकरण/प्रकटीकरण के साथ पुनः समूहीकृत / पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ in Lacs)

29. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(xvii) आकस्मिक देयतायें एवं वचनबद्धता :

(अ)कम्पनी पर दावे जो ऋण नहीं समझे गए :

(1) दीवानी मुकदमों के सम्बन्ध में

जैसा कि
31.3.2025 को था

780.00

जैसा कि
31.3.2024 को था

735.53

(ब) वचनबद्धतायें :

पूंजी व्यय में आपूर्ति के लिये शेष बचे क्रय आदेश
करारों की अनुमानित राशि

0.00

0.00

(xviii) सामाजिक कार्यों पर किया गया व्यय :

कुल व्यय

घटायें : कुलआय

वास्तविक व्यय

2024-25

कैन्टीन

परिवहन

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2023-24

कैन्टीन

परिवहन

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

29. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(xix) लेखा मानक-29 के अनुसार प्रावधानों का विवरण :

(₹ लाख में)

क्रम	प्रावधानों का विवरण	01.04.2024 का प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान जोड़ा गया	वर्ष के दौरान भुगतान/समायोजन	वर्ष के दौरान रिवर्स किया गया	31.03.2025 को शेष
1	सेवोपहार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	अवकाश नगदीकरण	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	योग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	पिछले वर्ष	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

संक्षिप्त विवरण :

सेवोपहार एवं छुट्टी नगदीकरण : सोदेश्य प्राप्त होने वाले सेवोपहार एवं अवकाश नगदीकरण हेतु प्रावधान वर्ष 2019-20 तक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर बनाये गये थे। वर्ष 2020-21 से इसके भुगतान की कोई अनिश्चिता नहीं है। सेवोपहार एवं अवकाश नगदीकरण का प्रावधान वास्तविक गणना के आधार पर किया गया जो कि कम्पनी के बन्द करने के निर्णय पर आधारित है, इन मदों का भुगतान कर दिया गया है। चूँकि सारे कर्मचारी 2021-22 में वी.आर.एस. के माध्यम से सेवानिवृत्त हो गये तथा उनका भुगतान हो चुका है, सभी अंक शून्य दर्शाये गये हैं।

29. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(xx) आयातित सामानों का सी.आई.एफ मूल्य :

कच्ची सामग्री एवं संयंत्रिय पुर्जे

(xxi) विदेशी मुद्रा में किया गया व्यय

(नगद आधार पर)

समानान्तर अध्ययन हेतु

(xxii) निर्यात का एफ.ओ.बी. मूल्य:

1. सामानों का निर्यात

(xxiii) आयातित एवं स्वदेशी सामग्रियों का उपभोग :

(अ) उपभोग में लायी गई सम्पूर्ण आयातित कच्ची सामग्रियों, कलपुर्जों एवं विभिन्न अवयवों के भण्डारों तथा अतिरिक्त कलपुर्जों का सम्मिलित मूल्य

(ब) उपभोग में लायी गयी सम्पूर्ण स्वदेशी कच्ची सामग्रियों, कलपुर्जों एवं विभिन्न अवयवों के भण्डारों तथा अतिरिक्त कलपुर्जों का सम्मिलित मूल्य

(स) उपभोग में लायी गई समस्त सामग्रियों से प्रतिशत

2024-2025

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2023-2024

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

(₹ लाख में)

29. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(xxiv) विक्रय (सकल)

	2024-2025		2023-2024	
	मात्रा (नग में)	मूल्य (₹ लाख में)	मात्रा (नग में)	मूल्य (₹ लाख में)
अ कम्प्रेसर्स	00 नग+पुर्जे	0.00	00 नग+पुर्जे	0.00
ब पम्पस्				
1. रेसीप्रोकेटिंग पम्पस्	00 नग+पुर्जे	0.00	00 नग+पुर्जे	0.00
2 सन्द्रीफ्यूगल पम्पस्	00 नग+पुर्जे	0.00	00 नग+पुर्जे	0.00
स गैस सिलिण्डर्स	00 नग	0.00	00 नग	0.00
द स्थापना और अन्य कार्य	-	0.00	-	0.00
योग :		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

(xxv) उपयोग की गई समस्त प्रकार की कच्ची सामग्रियों और संयंत्रीय कलपुर्जों का पृथक-पृथक विवरण:

	2024-2025		2023-2024	
	मात्रा (टन में)	मूल्य (₹ लाख में)	मात्रा (टन में)	मूल्य (₹ लाख में)
अ स्वदेशी :				
1. स्टील प्लेट्स	-	0.00	-	0.00
2. पम्पस् तथा कम्प्रेसर्स हेतु बाहर से क्रय की गई सामग्री	-	0.00	-	0.00
3. अन्य विविध सामग्रियाँ	-	0.00	-	0.00
योग:		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
ब आयातित				
1. पम्पस् तथा कम्प्रेसर्स हेतु अवयव*	-	0.00	-	0.00
2. अन्य विविध वस्तु*	-	0.00	-	0.00
योग:		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>
* कुल कच्चे माल तथा अवयव का उपभोग		<u>0.00</u>		<u>0.00</u>

वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ

29. वित्तीय विवरणों पर अतिरिक्त टिप्पणियाँ

(xxvi) उत्पादित सामानों का भण्डार :

	2024-25		2023-24	
	अन्तिम शेष भण्डार		आरम्भिक भण्डार	
	मात्रा (नगों में)	मूल्य (₹ लाख में)	मात्रा (नगों में)	मूल्य (₹ लाख में)
अ. पम्पस् :				
1. सेन्ट्रीफ्यूगल	00 नग (00 नग)	0.00 (0.00)	00 नग (00 नग)	0.00 (0.00)
2. रेसीप्रोकेटिंग	00 नग (00 नग)	0.00 (0.00)	00 नग (00 नग)	0.00 (0.00)
ब. कम्प्रेसर्स				
1. रेसीप्रोकेटिंग	00 नग (00 नग)	0.00 (0.00)	00 नग (00 नग)	0.00 (0.00)
स. सिलिण्डर्स				
विविध प्रारूपों के	00 नग (00 नग)	0.00 (0.00)	00 नग (00 नग)	0.00 (0.00)

उप-टिप्पणी : कोष्ठक में दी गई मात्रा एवं मूल्य विगत वर्ष के आंकड़ों को दर्शाता है।

हमारे सम दिनांक प्रतिवेदन के संदर्भित है।

कृते नागेंद्र गुप्ता एण्ड कम्पनी
सनदी लेखाकार



(पंकज दुबे)

साझीदार

(सदस्य सं0 077578)

UDIN : 25077578BMNYGN1438



(इन्द्रसेन सिंह)

मुख्य वित्त अधिकारी

तथा कम्पनी सचिव



(के.एन. रमेश)

निदेशक

DIN : 10795955



(के. सदाशिव मूर्ति)

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

DIN : 09184201

स्थान : प्रयागराज

दिनांक : 05.05.2025

दस वषीय सिंहावलोकन

(₹ लाख में)

क्रमांक	विवरण	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16
1	उत्पादन का मूल्य	0.00	0.00	0.00	968.47	4097.88	6370.40	5456.05	7628.01	7601.12	6967.47
2	विक्रय	0.00	0.00	0.00	1091.43	4540.05	6572.48	6866.29	7712.20	7490.94	7851.94
3	कुल लाभ/(हानि)/(पी.बी.डी.आई.टी.)	25.79	288.47	2836.54	2929.47	(1041.34)	1126.15	(394.63)	(1129.33)	(4152.48)	(4696.03)
4	अवमूल्यन/डी.आर.ई.	0.21	0.28	68.74	448.39	453.83	464.28	465.09	478.45	506.04	514.96
5	ब्याज	0.00	1614.92	10.59	469.74	1312.33	2639.44	2675.12	2639.44	1805.25	789.48
6	(अ) वर्तमान संचालन पर कर के पूर्व लाभ/(हानि)	25.58	(1326.73)	2757.21	(5088.65)	(2807.50)	(2011.01)	(3534.84)	(4247.22)	(5411.47)	(5534.76)
(ब) (1) प्रावधान		0.00	0.00	0.00	0.00	338.89	687.91	306.93	383.02	1725.67	0.00
(2) शुद्ध पूर्वाधि समायोजन		0.00	62.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1052.30	775.78	0.00
(3) असाधारण मद		0.00	0.00	0.00	64.71	5242.68	0.00	0.00	0.00	0.00	(310.07)
(स) कर के पूर्व लाभ/(हानि)		25.58	(1326.73)	2694.49	(5153.36)	(8389.07)	(2698.92)	(3841.77)	(4630.24)	(8189.44)	(6000.47)
7. कर के लिये प्रावधान		283.05	3337.23	4037.46	215.62	0.00	0.00	(493.43)	(238.73)	207.96	1590.06
8. कर के पश्चात लाभ (हानि)		(48.10)	(4663.96)	(1342.97)	(5368.98)	(8389.07)	(2698.92)	(3348.34)	(4391.51)	(8397.40)	(7590.53)
9. सकल खण्ड		0.00	16.24	16.24	10564.25	10564.25	10542.62	10522.31	10507.09	10468.86	10444.77
10. शुद्ध खण्ड		0.00	6.01	6.29	2127.47	2563.95	2974.06	3399.27	3825.93	4237.14	4682.91
11. कार्य संचालन पूंजी		(15320.21)	(15068.75)	(10405.07)	(10954.12)	(22813.44)	(21810.58)	(16963.61)	(10580.98)	(4478.55)	(3742.10)
12. लगाई गयी पूंजी		(15320.21)	(15062.74)	(10398.78)	(8826.65)	(20249.49)	(18836.52)	(13564.34)	(6755.05)	(241.41)	940.81
13. सम्मिलित मूल्य		0.00	0.00	0.00	614.48	2623.20	4335.42	3347.90	4802.37	3600.68	3149.45
14. शुद्ध मूल्य		(15320.21)	(15062.74)	(10398.78)	(9257.89)	(20495.29)	(21361.22)	(18662.30)	(14820.53)	(10190.29)	(2000.85)
15. वेतन भत्ता एवं अन्य सुविधायें		0.00	0.00	0.00	344.76	2031.76	2476.36	3102.29	4886.92	5958.57	6517.23
16. राजकोष योगदान		283.05	3337.23	3192.37	122.96	251.19	651.29	624.42	649.76	380.82	686.66
17. आन्तरिक ऋणों की उत्पत्ति		(257.47)	(4663.68)	(1211.51)	(4640.26)	(2353.67)	(1546.73)	(2576.32)	(3036.61)	(5433.53)	(6861.44)
18. निर्यात (माने गये डीमड निर्यात सहित)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.33	175.30	976.42
19. कर्मचारियों की संख्या		0	0	0	0	140	170	218	296	391	523
20. प्रति कर्मचारी जोड़ा गया कुल सम्मिलित मूल्य		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	18.74	25.50	15.36	16.22	9.21	6.02
21. मजदूरी के प्रत्येक रुपये में जोड़ा गया सम्मिलित मूल्य		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	1.78	1.29	1.75	1.08	0.98	0.60	0.48
22. वास्तविक मूल्य में शुद्ध लाभ/(हानि)		1.68	0.31	0.13	0.58	0.41	0.13	0.18	0.30	0.82	3.79
23. सकल खण्ड से सकल सीमा		लागू नहीं	28.52	174.66	0.28	(0.10)	0.11	(0.04)	(0.11)	(0.40)	(0.45)
24. कर्मचारी व्यय से पी.बी.डी.आई.टी.		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	8.50	(0.51)	0.45	(0.13)	(0.23)	(0.70)	(0.72)
25. सकल विक्री से सम्मिलित मूल्य		लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	0.56	0.58	0.66	0.49	0.62	0.48	0.40
26. लगाई गई पूंजी के प्रति सकल लाभ		(0.01)	(0.02)	(0.27)	(0.33)	0.05	(0.06)	0.03	0.17	17.20	(4.99)
27. विविध देनदार कुल विक्रय विवस के रूप में		0.00	0.00	0.00	89.00	418.13	387.44	408.50	345.20	363.51	361.14
28. उत्पादन विवस के रूप में सामग्री की उपलब्धता		0.00	0.00	0.00	952.91	238.99	182.53	216.25	210.70	231.81	249.38

टिप्पणी - कोष्ठक में दी गयी राशि नकारात्मक राशि है।



भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)

नैनी, प्रयागराज - 211010 (यू.पी.) भारत

सीआईएन - U28991UP1970GOI003577

ई-मेल : cmd@bharatpumps.co.in

Bharat Pumps & Compressors Ltd.

(A Government of India Enterprise)

Naini, Prayagraj - 211010 (U.P.) India

CIN - U28991UP1970GOI003577

E-mail : cmd@bharatpumps.co.in